लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 11.12.86

को

कार्य - सूची

लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

ल ख न ऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 में विचारणीय
विषयों की कार्य-सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 सितम्बर, 1986 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	1
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 सितम्बर, 1986 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या	7
3.	बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ-विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये कार्यों की प्रगति आख्या ।	10
4.	अभियन्त्रण विभाग द्वारा किये गये कार्यों का प्रगति विवरण ।	11
5.	गोमती नगर योजना में होटल के लिये भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	17
6.	विभिन्न व्यक्तियों को अर्जित भूमि के बदले विकसित भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	20
7.	श्री गोपाल शर्मा, क्रिकेट खिलाड़ी को रियायती दर पर भूमि आवन्टन के सम्बन्ध में ।	21
8.	श्री जीवेन्द्र नाथ कौल को भाखण्ड आवन्टन हेतु गठित उप-समिति की आख्या का अनुमोदन ।	22
9.	दिनांक 14-8-86 को परिचालन द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।	24
10.	स्व0 श्री प्रभादयाल, सेवानिवृत्त, सुपर-वाइज़र को हैड माली के पद में प्रत्यावर्तित करने के सम्बन्ध में ।	26
11.	कास्टिंग विभाग में स्टाफ़ की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	27
12.	प्राधिकरण में चतुर्थ श्रेणी वर्ग के पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।	31
13.	प्राधिकरण के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सायकिल भत्ते में वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।	35
14.	प्राधिकरण में स्टेटिकल सेल की स्थापना के सम्बन्ध में ।	36
15.	प्राधिकरण में मलिन बस्ती निपातन योजना के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यता में शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।	37
16.	प्राधिकरण में कर्मचारी कल्याण निधि (वेनीवैलेन्ट फन्ड) की स्थापना के सम्बन्ध में ।	38

क्रमशः——

17-	प्राधिकरण के पार्कों के रख-रखाव के सम्बन्ध में ।	39
18-	प्राधिकरण के वार्षिक लेखा एवं बैलेन्स-शीट वर्ष 1983-84 का सम्परीक्षण ।	40
19-	उद्द्यान विभाग हेतु एक ट्रैक्टर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में ।	41
20-	उत्तर प्रदेश योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 56(1) "ज" के अधीन दस्तावेजों एवं मानचित्रों के निरीक्षण के सम्बन्ध में ।	42
21-	य0पी0एस0ई0बी0 के चेयरमैन या उनके प्रतिनिधि को विकास प्राधिकरण का सदस्य नामित किये जाने के सम्बन्ध में ।	49
22-	य0पी0अर्बन डेवलपमेन्ट एवं वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 697.46 लाख का ऋण प्राप्त करने एवं सेक्टर "आई" में प्रस्तावित विकास कार्यों के सम्बन्ध में ।	50
23-	अलीगंज योजना के ट्रंक सीवर निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।	51
24-	गोमती नदी तथा गोमती नगर योजना के बीच के क्षेत्र का जोनल प्लान तथा विकास हेतु स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	53
25-	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय कालोनियों के भवनों में दूकानें चलाने की अनुमति ।	61
26-	इन्द्रलोक कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	63
27-	90 वर्ष की लीज पर ली जाने वाली भूमि पर पूर्व-पेड़ लीज़रेन्ट वसूल किये जाने के सम्बन्ध में ।	65
28-	सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, 10- मालरवैन्यू के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	68
29-	लखनऊ महानगरी के विकास हेतु प्रस्तावित जनसंख्या, घनत्व, भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 से सम्बन्धित उप-विधियां ।	70
30-	रायबरेली रोड पर भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	76
31-	आवासीय भवन निर्माण हेतु प्रचलित सेट-बैक में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में ।	77
32-	वर्तमान निर्मित व विकसित क्षेत्रों एवं विकसित हो रहे अविकसित क्षेत्रों में भू-उपयोग हेतु जोनिंग रेगुलेशन ।	79
33-	भवन विभाग में मानचित्रों की स्वीकृति के सरलीकरण के सम्बन्ध में ।	80

क्रमशः---

34- छोटे-छोटे नजूल भाखण्डों पर प्लाट होल्डर्स व्दारा स्वयं भूखण्डों के विकसित करने की योजना । 83

35- श्री प्रकाश नारायण सेठ, 19-विधानसभा मार्ग, लखनऊ के भाखण्ड संख्या- बी.3 के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में । 84

36- प्राधिकरण के अभिलेखों के सम्बन्ध में बीडिंग रूल्स के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव । 85

37- भावन मानचित्रों की स्वीकृति प्राप्त करने व अपील करने हेत लिये जाने वाले शुल्क की दरों का पुनरीक्षण । 92

38- उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-32 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रतिनिधायन । 98

39- बजट 1986-87 के विरूध्द 30-11-86 तक अनन्तिम आय-व्यय की स्थिति । 99

40- लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक जन-सम्पर्क अधिकारी के पद के सृजन के सम्बन्ध में । 102

41- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय

=x=x=x=x=x

विषय संख्या: 1

पृष्ठ संख्या: 181

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 सितम्बर, 1986 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

=======

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 सितम्बर, 1986 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न किया जा रहा है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
==========
दिनाँक 6 सितम्बर, 1986 का कार्यवृत्त
== = = = = = = = = = = = = ==

उपस्थिति:

1-	श्री राम कृष्ण	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवँ अध्यक्ष, लखनऊ विकास-प्राधिकरण, लखनऊ ।
2-	श्री अखण्ड प्रताप सिँह	सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर विकास विभाग ।
3-	श्री नरेश दयाल	जिलाधिकारी, लखनऊ
4-	श्री गोविन्दन नायर	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
5-	श्री शारद अस्थाना	सँयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग ।
6-	श्री एन0एस0जौहरी	मुख्य ग्राम एवँ नगर नियोजक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7-	श्री डी0पी0सिँघल	मुख्य अभियन्ता उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ।
8-	डा0 वी0एन0खन्ना	सदस्य, विधान परिषद एवँ सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
9-	श्री राम नगीना सिँह	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण
10-	श्रीमती उमा त्रिपाठी	सदस्या, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

==========

अन्य उपस्थिति:

1-	श्री शैलेश कृष्ण	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

विषय सँख्या: 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 26-7-86 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 26-7-1986 के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नाकिँत सँशोधनों के साथ की गई :-

विषय सँख्या: 3 बीस सूत्रीय कार्यक्रम में दुकानों हेतु स्थल चयन हेतु निम्नाकिँत सदस्यों की एक उप-समिति बनाई जाती है :

1- ए0डी0एम0 (सिटी)
2- एस0 पी0 (सिटी)

क्रमश:---2

3- उप-प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ ।
4- डा0 वी0एन0खान्ना, सदस्य
5- श्री राम नगीना सिंह, सदस्य
6- श्रीमती उमा त्रिपाठी, सदस्या
7- मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

उपरोक्त उप-समिति नगर में निरीक्षण करके उपयुक्त स्थानों का चयन करेगी जिसपर कम दामों पर बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत दूकानों का निर्माण किया जायेगा ।

विषाय स0:8 निर्णय में जोड़ दिया जाये कि "" उप-समिति व्दारा प्रस्तुत सँस्तुतियाँ यथावत् अनुमोदित की गई ""

विषाय स0:9 उक्त निर्णय के अन्त में यह भी जोड़ दिया जाये कि "" इस सम्बन्धा में सीलिंग विभाग से भी अनापत्ति प्राप्त कर ली जाया करे ।"

विषाय सँख्या: 2 बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्यों की प्रगति आख्या ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जो भवन ई0डब्लू0एस0 के तथा जो भूखण्ड साइट ऐण्ड सर्विसिज़ के बन चुके हैं उनकी आवन्टन की सूचना भी अंकित की जाये ।

2(क) खण्डवार प्रगति के साथ उनके आवन्टन की भी सूचना अंकित की जाये ।

2(ख) राधाग्राम तथा ला-प्लास के सम्बन्धा में भी प्रगति रक्खी जाये तथा अलीगँज के सीवर के सम्बन्धा में यह निर्देश दिया गया कि उसकी पेकिंग उत्तर प्रदेश जलनिगम व्दारा शीघ्र की जाये जिसके लिये सदस्य श्री राम नगीना सिंह को भी सम्बध्द किया जाता है ।

2(ग) अवलोकन किया गया ।

क्रमश:--- 3

विषय संख्या: 3 — लखनऊ विकास प्राधिकरण के वादों के सम्बन्ध में मुख्य विधि सलाहकार को अधिकार प्रतिनिधानित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से विकास प्राधिकरण के मुख्य विधि सलाहकार को वाद पत्रों, प्रतिवाद पत्रों, अपीलों व निगरानियों हेतु पत्रों तथा उनसे सम्बन्धित वकालतनामों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकार प्रदत्त करने हेतु और उनके द्वारा अबतक वकालतनामों एवं वाद पत्रों आदि पर किये गये हस्ताक्षरों को अनुमोदित करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । उपरोक्त अधिकार श्री एस0पी0अग्रवाल मुख्य विधि सलाहकार को ही प्रतिनिधानित किये जाते हैं । नवन्युक्ति पर पुन: प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा ।

विषय संख्या: 4 — उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-46 के अन्तर्गत अधिप्रमाणीकरण एवं धारा-26(1), 26(2), 26(3) व 28(4) के अन्तर्गत इनफोर्समेन्ट शाखा के सहायक अभियन्ताओं को कुछ विधिक अधिकार प्रतिनिधानित करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव यथावत् स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 5 — माल एवन्यु स्थित भूखण्ड संख्या-14 ए एवं 17 ए के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — इस मामले पर विकास प्राधिकरण ने गम्भीर रूप से विचार-विमर्श किया । चूकिं विकास प्राधिकरण की लगभग 70,000 वर्गफिट भूमि का वाद न्यायालय में लम्बित है जिसके फलस्वरूप विकास-प्राधिकरण कोई योजना चलाने में असमर्थ हो रहा है जिससे काफी हानि हो रही है । पूर्व में श्रीमती बक्शी से समझौते हेतु वार्ता हुई और श्रीमती बक्शी ने यह प्रार्थनापत्र दिया कि उन्हे 2200 वर्गमीटर भूमि दे दी जाये और उसका रेट रू0 10/- प्रति वर्गफिट से कम लगाया जाये । इसपर विकास प्राधिकरण ने विचार करके यह निर्णय लिया कि श्रीमती बक्शी को 2200 वर्गमीटर भूमि दिया जाना सम्भव नहीं है परन्तु यदि वे चाहें तो उनको तथा उनके परिवार को सम्मिलित रूप से 1675 वर्गमीटर भूमि रू0 10/- प्रति वर्गफिट की दर से दी जा सकती है । उपरोक्त मूल्य किसी प्रकार से दृष्टान्त नहीं बन सकता है क्योंकि प्रार्थिनी को विस्थापित की हैसियत से दिया जाना उचित होगा क्योंकि इनसे विकास प्राधिकरण को लगभग 50,000 वर्गफिट भूमि मिल रही है ।

क्रमश:---4

विषाय सँख्या: 6 — आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को कम मूल्य पर भवन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्ताव यथावत् स्वीकृत किया गया । यह दरें दिनाँक 1-11-86 से लागू की जायेगीं ।

विषाय सँख्या: 7 — लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियन्त्रण में आने वाली किराये पर दी गई दुकानों के बिक्रय के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विषाय सँख्या: 8 — विभिन्न व्यक्तियों को योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि के बदले विकसित भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्ताव यथावत् स्वीकृत किया गया ।

विषाय सँख्या: 9 — लखनऊ नगर के बाहरी भागों में जो अनधिकृत कालोनी विकसित हो रही हैं उनका नियोजित विकास ।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव निम्नांकित सँशोधनों के साथ स्वीकृत किया गया : प्रारम्भ में ही नगर के कुछ क्षेत्रों को उक्त योजना में सम्मिलित कर लिया जाये ।

विषाय सँख्या: 10 — लखनऊ नगर के भीतरी भागों के पुर्नविकास तथा अर्बन रिन्युवल की योजना ।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कोई भी योजना प्रस्तावित करने से पहले प्राधिकरण से उसकी स्वीकृति ले ली जाये । इस सँशोधन के साथ प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विषाय सँख्या: 11 — नियोजन विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित पदों के सृजन हेतु शासन को लिखा जाये तथा अन्तरिम अवधि में कान्ट्रैक्ट बेसिस पर उचित व्यक्तियों को रखा लिया जाये । साथ ही साथ कम्प्युटर विभाग के लिये जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया है उसमें भी कन्ट्रैक्ट बेसिस पर उचित व्यक्तियों को रखा लिया जाये ।

विषाय सँख्या: 12 — गोमती नगर योजना/कानपुर रोड योजना में होटल के लिये भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — होटल के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार किया गया तथा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि गोमती नगर योजना में निम्नांकित दो ही

क्रमशः——5

होटल्स को भूमि देना उपयुक्त पाया गया :

1- मेसर्स ऐशियन होटल्स

2- मेसर्स इन्डियल होटल्स

चूकिं मेसर्स ऐशियन होटल्स लि0 व्दारा अधिक भूमि की मॉग की गई है अतएव उन्हे गोमती नगर योजना में भूमि प्रस्तावित शर्तो पर दी दी जाये ।

कानपुर रोड योजना में जो प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं उसमें मेसर्स सूर्या होटल्स को सबसे अधिक उपयुक्त पाया गया अतएव कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी या अन्य किसी सेक्टर में भूमि उपलब्ध करा दी जाये ।

विषय संख्या: 13 नकद ऋण (कैश लोन) से सम्बन्धित योजना

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि योजना के लाभार्थियों से रू0 500/- पॅजीकरण की धनराशि जमा करा ली जाये । शेष प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 14 लखनऊ विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारियों के वाहन भत्तों में वृध्दि करने हेतु ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विकास-प्राधिकरण की सेवा हेतु अपने निजी मोटर कार का उपयोग करने वाले अधिकारियों को रू0 325/- प्रतिमाह वाहन भत्ता तथा समस्त अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राधिकरण की सेवा हेतु निजी मोटर साइकिल/स्कूटर आदि का उपयोग करने हेतु रू0 120/- प्रतिमाह वाहन भत्ता दिया जाये लेकिन किसी भी अन्य संस्था का मानक नहीं रक्खा जायेगा ।

विषय संख्या: 15 चतुर्थ श्रेणी वर्ग के पदों के सृजन के सम्बन्ध में

निर्णय : समयाभाव के कारण विषय आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।

विषय संख्या: 16 भूखण्ड संख्या-2, फोरसिथ मार्ग, लालबाग के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासन को भू-उपयोग परिवर्तन हेतु भेज दिया जाये ।

विषय संख्या: 17 भू-उपयोग परिवर्तन हेतु परिवर्तन शुल्क एवं विकास शुल्क के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

क्रमशः--- 6

विषय संख्या: 18 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व नगर महापालिका व्दारा कालोनियों में निर्मित भवनों के बिक्रय के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — विचारोपरान्त निम्न संशोधनों के साथ प्रस्ताव स्वीकृत किया गया :

1- नजूल भूमि पर बने भवनों को नहीं बेचा जायेगा ।

2- भवन की बिक्री आवन्टी की स्वेच्छा से की जायेगी और किसी आवन्टी को बाध्य नहीं किया जायेगा ।

3- भवनों का बिक्रय कैश डाउन के आधार पर किया जायेगा और पूर्ण मूल्य छः माह में वसूल किया जायेगा ।

विषय संख्या: 19 — रेल नगर योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में

निर्णय : — प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या: 20 — कैशालोन योजना के अन्तर्गत कानपुर रोड एवं गोमती नगर में विकसित भूखाण्डों पर भवन निर्माण हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या: 21 — कानपुर रोड योजना के सेक्टर "एच" में 483 एक कमरे वाले भवनों हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

ह0/-
(गोविन्दन नायर)
उपाध्यक्ष

ह0/-
(शैलेश कृष्ण)
सचिव

अनुमोदित

ह0/-
(राम कृष्ण)
आयुक्त
लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 सितम्बर, 1986 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या

विषय संख्या: 3 लखनऊ विकास प्राधिकरण के वादों के सम्बन्ध में मुख्य विधि सलाहकार को अधिकार प्रतिनिधानित किये जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन : लिये गये निर्णय के अनुरूप मुख्य विधि सलाहकार द्वारा कार्यवाही का निष्पादन किया जा रहा है।

विषय संख्या: 4 इनफोसिमेन्ट शाखा के सहायक अभियन्ताओं को कुछ विधिक अधिकारों का प्रतिनिधायन।

अनुपालन : विकास प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप ही कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या: 5 माल एवन्यू स्थित भूखण्ड संख्या 14 ए एवं 17 ए के सम्बन्ध में।

अनुपालन : विकास प्राधिकरण के निर्णय के अनुरूप श्रीमती बक्शी व उनके परिवार के सदस्यों को आवन्टन पत्र निर्गत कर दिये गये हैं।

विषय संख्या: 6 आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को कम मूल्य पर भवन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन : विकास प्राधिकरण के निर्णयानुसार दिनांक 1-11-1986 से कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या: 7 लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियन्त्रण में आने वाली किराये पर दी गई दूकानों के बिक्रय के सम्बन्ध में।

अनुपालन : निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या: 8 विभिन्न व्यक्तियों को योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि के बदले विकसित भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।

विषय पुन: प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

विषय संख्या: 9 लखनऊ नगर के बाहरी भागों में जो अनधिकृत कालोनी विकसित हो रही हैं उनका नियोजित विकास

अनुपालन : निर्णयानुसार अविकसित क्षेत्रों का सर्वेक्षण प्रारम्भ करा दिया गया है। सर्वेक्षण के उपरान्त क्षेत्रीय विकास योजना तैयार की जायेगी।

विषय संख्या: 10 लखनऊ नगर के भीतरी भागों के पुर्नविकास तथा अर्बन रिन्युवल की योजना।

अनुपालन : अर्बन रिन्युवल की योजना तैयार कराने हेतु कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। योजना तैयार होने के उपरान्त प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।

क्रमश: ——

विषय संख्या: 11 — नियोजन विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

अनुपालन : — निर्णयानुसार पदों के सृजन हेतु शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है, कुछ भर्तियां कान्ट्रैक्ट बेसिस पर कर ली गई हैं ।

विषय संख्या: 12 — गोमती नगर योजना/कानपुर रोड योजना में होटल के लिये भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

अनुपालन : — प्राधिकरण के निर्णयानुसार मे0 एशियन होटल्स लि0 को भूमि आवन्टन हेतु प्रस्ताव भेज दिया गया है । उन्होंने रू0 10.00 लाख धनराशि जमा कर दी है और शेष धनराशि दिनांक 31-12-86 तक जमा करने हेतु समय दिया गया है ।

विषय संख्या: 13 — नकद ऋण (कैश लोन) से सम्बन्धित योजना

अनुपालन : — प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही प्रगति पर है ।

विषय संख्या: 14 — लखनऊ विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारियों के वाहन भत्तों में वृध्दि करने हेतु ।

अनुपालन : — निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

विषय संख्या: 15 — चतुर्थ श्रेणी वर्ग के पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।

अनुपालन : — विषय पुन: प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

विषय संख्या: 16 — भूखण्ड संख्या- 2, फ्लोरसिया मार्ग, लालबाग के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

अनुपालन : — निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है ।

विषय संख्या: 17 — भू-उपयोग परिवर्तन हेतु परिवर्तन शुल्क एवं विकास शुल्क के सम्बन्ध में ।

अनुपालन : — निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है ।

विषय संख्या: 18 — विकास प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व नगरमहापालिका द्वारा कालोनियों में निर्मित भवनों के बिक्रय के सम्बन्ध में ।

अनुपालन : — निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

विषय संख्या: 19 — रेल नगर योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

अनुपालन : — निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

विषय संख्या: 20 — कैशलोन योजना के अन्तर्गत कानपुर रोड एवं गोमती नगर योजना में विकसित भूखण्डों पर भवन निर्माण हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति ।

अनुपालन : — निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

क्रमश: ---

विषय संख्या: 21 कानपुर रोड योजना के सेक्टर "एच" में 483 एक कमरे वाले भवनों हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।

अनुपालन : निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा माह अक्टूबर 1986 तक की प्रगति का विवरण

सूत्र सं0	कार्यक्रम	विगत वर्ष 1985-86की उपलब्धि	वर्ष 86-87 का लक्ष्य	माह की उपलब्धि	क्रमिक उपलब्धि	विवरण
10	§1§ई0डब्लू0एस0भवन का निर्माण	3187	2657	4	116	
	§2§ साइट एण्ड सर्विसिज भूखाण्डों का निर्माण -	2050	——	37	440	
	योग:-	5237	2657	41	556	20.92%

नोट:- 1:अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये शासन द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार आवंटन होता है ।

2: निर्माणाधीन ई0डब्लू0एस0भवन एंव साइट/ सर्विसिज भूखाण्डों की संख्या= 1394

प्राधिकरण में विभिन्न अभियन्त्रण खण्डों में भावनों की प्रगति अक्टूबर, 1986 तक

	साइट एण्ड सर्विसिज			ई0डब्लू0एस0			एल0आई0जी0			एम0आई0जी0			एच0आई0जी0		
	लक्ष्य	पूर्ण	प्रगति	लक्ष्य	पूर्ण	प्रगति	लक्ष्य	पूर्ण	प्रगति	लक्ष्य	पूर्ण	प्रगति	लक्ष्य	पूर्ण	प्रगति
गोमतीनगर योजना															
खण्ड–2	184	–	–	101	–	–	94	–	–	130	–	–	168	–	–
खण्ड–8	178	140	39	100	96	4	40	40	–	266	266	–	553	100	–
खण्ड–10	–	–	–	485	20	435	200	200	–	624	260	364	209	163	–
योग:	362	140	39	686	116	439	334	240	–	1260	526	364	930	263	–
कानपुर रोड योजना															
खण्ड–1	500	–	–	32	–	–	24	–	–	118	94	16	2	–	–
खण्ड–11	–	300	464	306	–	312	143	60	83	13	–	–	41	105	–
योग:	500	300	464	338	–	312	167	60	83	131	94	16	43	105	–
सीतापुर रोड योजना															
खण्ड–3	300	–	–	–	–	–	–	–	–	263	100	96	–	–	–
खण्ड–5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	150	40	–	–	–	–
योग:	300	–	–	–	–	–	–	–	–	413	140	96	–	–	–
टिकैतराय, मोतीझील, रामनगर योजना															
खण्ड–6	380	–	–	–	–	–	100	86	5	571	183	376	126	62	–
योग:	380	–	–	–	–	–	100	86	5	571	183	376	126	62	–

लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के अन्तर्गत विभिन्न खण्डों में चल रहे कार्यों की संक्षिप्त टिप्पणी 30.10.86 तक

(1) गोमतीनगर योजना

(क) विवेक खण्ड:-

19 किमी0 सड़क, 18.5किमी0 सीवर, 18.5किमी0 पानी की लाइन बिछाई गई है। 2.85 किमी0 बरसाती नाले का निर्माण, 0.39किमी0 के0सी0ड्रेन का निर्माण पूरा हो चुका है। कुल 27 पार्क बनाये गये हैं।

(ख) पत्रकारपुरम् :-

2.0किमी0 सीवर, 2.0किमी0 पानी की लाइन बिछाई गई है, कुल चार पार्क बनाये गये हैं।

(ग) विश्वास खण्ड:-

8.25किमी0 सड़क बनाई गई, 9.70किमी0 सीवर डाली गई है, 9.25किमी0 पानी की लाइन बिछाई गई है। बरसाती नाला 70.60किमी0 एवं के0सी0ड्रेन 1.50किमी0 बनाई गई है। कुल सात पार्क बनाये गये हैं।

(घ) विनय खण्ड:-

14.25किमी0 सड़क पर सोलिंग लगाई जा चुकी है, 4.50किमी0 कन्सालिडेशन हुआ है, 10.25किमी0 सीवर लाइन बिछाई गई है, 12.00किमी0 पानी की लाइन बिछाई गई है। कुल 38पार्क निर्मित किये गये हैं।

(च) विजय खण्ड:-

4.5किमी0 सड़क पर सोलिंग, 2.0किमी0 कन्सालिडेशन एवं 1.75किमी0 लम्बाई में पेंन्टिग हुई है। सीवर लाइन 3.20 किमी0 तथा 4.5 किमी0 पानी की लाइन बिछाई गई है। साथ ही 6 पार्कों का निर्माण किया जा चुका है।

(छ) विशाल खण्ड=

16.0किमी0 सड़क पर सोलिंग, 4.00किमी0 लम्बाई पर कन्सालिडेशन हो चुका है। सीवर 9.5किमी0 एवं पानी की लाइन 7.5 किमी0 तक बिछाई जा चुकी है साथ ही कुल 9 पार्क का निर्माण किया जा चुका है।

(ज) विकास खण्ड=

2.04किमी0 सड़क पर सोलिंग बिछाई गई, 1.35किमी0 सीवर लाइन तथा 2.10किमी0 पानी की लाइन बिछाई जा चुकी है।

(झ) विभूति खण्ड:-

5.50किमी0 सड़क में सोलिंग बिछाई गई, 1.20किमी0 लम्बाई में गिट्टी बिछाई जा चुकी है। सीवर लाइन 1.10किमी0 तथा पानी की लाइन 1.35 किमी0 लम्बाई में बिछाई जा चुकी हैं।

.....(2)

(ट) विराम खण्ड:-

3.00किमी0 सड़क पर सोलिंग बिछाई गई, 2.35किमी0 सीवरलाइन एवं 2.10 किमी0 पानी की लाइन बिछाई जा चुकी है ।

(2)(ए) कानपुर रोड योजना(वाह्य)

5.6किमी0 सड़क पर सोलिंग बिछाई जा चुकी है, 1.05किमी0 सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है, 0.20किमी0बरसाती नाले का निर्माण किया गया है एवं 1.20किमी0 कच्चा व नाला खोदा गया ।

(बी) कानपुर रोड योजना(आन्तरिक)

2.6किमी0 सड़क पर सोलिंग बिछाई गई, 0.65किमी0 लम्बाई में कन्सालिडेशन तथा 0.5किमी0 लम्बाई में पेन्टिंग हुई 1.5किमी0 सीवर लाइन एवं 0.5 किमी0 वाटर लाइन बिछाई जा चुकी है ।

(क) सेक्टर "बी":-

सड़क 75 प्रतिशत, सीवर 50 प्रतिशत कार्य हुआ है ।

(ख) सेक्टर "सी":-

इस सेक्टर में पानी की लाइन बिछाने का कार्य लगभग 85 प्रतिशत (पैसठ प्रतिशत) पूर्ण हो चुका है ।

(ग) सेक्टर "डी":-

इस सेक्टर में सड़क, सीवर, पानी की लाइन का कार्य लगभग100% (सौ प्रतिशत) पूर्ण हो चुका है ।

(घ) सेक्टर "जी":-

इस सेक्टर में सड़क का कार्य 66 प्रतिशत, सीवर लाइन बिछाने का कार्य 93 प्रतिशत, वाटरमेन बिछाने का कार्य लगभग 98 प्रतिशत एवं बरसाती नाले का कार्य लगभग 93 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है ।

(च) सेक्टर "एच":-

इस सेक्टर में सड़क का कार्य 61 प्रतिशत, सीवर लाइन बिछाने का कार्य 82 प्रतिशत एवं वाटरमेन का कार्य लगभग 62 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है ।

(3)(ए) सीतापुर रोड योजना(वाह्य)

(क) सेक्टर "ए":-

ओवर हेड टैक का कार्य 85 प्रतिशत एवं पम्प हाउस का कार्य लगभग 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है ।

(ख) सेक्टर "डी":- .....(3)

§ख§ सेक्टर "डी" :-

ओवर हेड टैंक का कार्य 80 प्रतिशत, पम्प हाउस का कार्य लगभग 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है ।

§ग§ सेक्टर "जी" एवं "एफ" :-

24 मीटर चौडी सडक का कार्य 40 प्रतिशत सोलिंग बिछाई जा चुकी है एवं 18 मीटर चौडी सडक पर 5 प्रतिशत सोलिंग बिछाई जा चुकी है ।

§बी§ सीतापुर रोड योजना§आन्तरिक§

§क§ सेक्टर "ए" :-

इस सेक्टर में 12,800 वर्गमीटर सोलिंग बिछाई गई, 5700मीटर के0सी0ड्रेन, 3870मीटर सीवर एवं 3750मीटर वाटरमेन लाइन बिछाई गई है । कुल 6 पार्कों का निर्माण किया जा चुका है ।

§ख§ सेक्टर "बी"

1700 वर्गमीटर सडक पर सोलिंग, 1500मीटर सीवर लाइन एवं 800मीटरवाटरमेन लाइन बिछाने गई है, कुल तीन पार्क का निर्माण किया जा चुका है ।

§ग§ सेक्टर "सी" :-

5 किमी0 सडक पर कन्सालिडेशन, 3.4किमी0 लम्बाई में सीवर, एवं 4.5 किमी0 पानी की लाइन बिछाई जा चुकी है ।

§घ§ सेक्टर "एफ" एवं "जी" :-

2.0किमी0 सडक पर सोलिंग की गई, 300मीटर सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है ।

§4§ राधा ग्राम योजना

2.0 किमी0 सडक पर सोलिंग का कार्य हुआ है, 0.45 किमी0 पानी की लाइन बिछाई जा चुकी है ।

§5§ टिकैतराय आवासीय योजना:-

3.5 किमी0 सडक में फारसेशन हुआ है, 0.5 किमी0 लम्बाई में सोलिंग, एवं 0.48 किमी0 सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है ।

§6§ रामनगर आवासीय योजना

1.78किमी0 सडक पर सोलिंग, 0.70किमी0 सडक पर प्रथम कोट पेन्टिंग, 1.395किमी0 पर सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है, साथ ही 1.70 किमी0 लम्बाई में वाटरमेन बिछाई जा चुकी है ।

.....§4§

§7§ मोतीझील आवासीय योजना

0.15 किमी0 सड़क पर सीलिंग हुई है, 0.21किमी0 में सीवर लाइन बिछाई गई, एवं 0.12 किमी0 लम्बाई में वाटर मेन बिछाई जा चुकी है ।

§8§ अलीगंज आवास योजना

24 मीटर, 18मीटर सड़कों पर ग्राउटिंग लगभग 0.2 किमी0 साथ ही 1.32 किमी0 बरसाती नाले का निर्माण किया गया ।

§क§ सेक्टर "डी/एस" एवं "के/एस":-

90 प्रतिशत के0 सी0 ड्रेन का निर्माण किया जा चुका है ।

§9§ कपूरथाला काम्पलेक्स

डारफाल§द्वार्फ वाल § 80 प्रतिशत, पार्किंग 75% एवं पार्थ 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ।

§10§ व्यवसायिक केन्द्र व बहुखाण्डीय भवन

§क§ लाप्लास बहुखाण्डीय आवासीय योजना:-

सीवर, बरसाती नाले का निर्माण लगभग 95 प्रति0 पूर्ण किया जा चुका है, सड़क एवं मिट्टी भराई के कार्य लगभग 50 प्रतिशत तक पूर्ण किये जा चुके है ।

§ख§ छितवापुर व्यवसायिक केन्द्र:-

100 प्रतिशत विकास कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं ।

§ग§ कैलाश कुँज व्यवसायिक केन्द्र:-

लगभग 75 प्रतिशत विकास कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं ।

§ग§ सिन्डर्स डम्प योजना:-

लगभग 70 प्रतिशत विकास कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं ।

§च§ नीबूबाग काम्पलेक्स:-

लगभग 60 प्रतिशत विकास कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं ।

.....§5§

(11) " नजूल पार्क "

75 पार्कों के रखरखाव का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है । सूरज कुँड पार्क का निर्माण वर्ष 86 के अन्त तक पूर्ण हो जावेगा एवं गोमतीपार्क का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न खण्डों में वाह्य विद्युतीकरण का कार्य

(क) गोमतीनगर योजना:-

विवेक खण्ड-	75 प्रतिशत
विश्वास खण्ड-	50 प्रतिशत
विजय खण्ड-	35 प्रतिशत
विशाल खण्ड-	45 प्रतिशत
विकास खण्ड-	25 प्रतिशत
विराम खण्ड-	30 प्रतिशत
विनय खण्ड-	75 प्रतिशत

(ख) कानपुर रोड योज ना:-

सेक्टर "डी"	100 प्रतिशत
सेक्टर "डी-1"	75 प्रतिशत
सेक्टर "सी-1"	50 प्रतिशत
सेक्टर "जी"	65 प्रतिशत
सेक्टर "एच"	60 प्रतिशत
सेक्टर "ई"	100 प्रतिशत
सेक्टर "एफ"	100 प्रतिशत

(ग) सीतापुर रोड योजना:

सेक्टर "ए"	70 प्रतिशत
सेक्टर "सी"	65 प्रतिशत

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न खण्डों में वृक्षारोपण का कार्य

(क) गोमतीनगर योज ना:- सडको पर ट्री गार्डस में 8600 पौधे एवं ग्रीनबेल्ट में 8100 पौधों का रोपण किया गया ।

(ख) अलीगंज एवं सीतापुर रोड योजना:- ट्री गार्डस में 4250 एवं ग्रीनबेल्ट में 1250 पौधों का रोपण किया गया ।

(ग) कानपुर रोड एवं ट्रान्सपोर्ट नगर:- ट्री गार्डस में 7900 एवं ग्रीनबेल्ट में 6200 पौधों का रोपण किया गया ।

(घ) नजूल पार्क: नजूल पार्कों में 6900 पौधों का रोपण किया गया ।

(च) मोतीझील, आजादनगर, टिकैतराय, ऐशबाग, रामनगर आवासीय योजना ट्री गार्डस में लगभग 3000 पौधों का रोपण किया गया ।

विषयः गोमती नगर योजना में होटल के लिये भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

आख्याः उपरोक्त योजनाओं में होटल के निर्माण हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में विषय प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6-9-86 में विषय संख्याः12 के अन्तर्गत रखा गया था ।

2- निम्न होटल स्वामियों से आफर्स प्राप्त हुए थे :

1॥ मे0 रीजेन्सी होटल्स लि0 नई दिल्ली,
2॥ दि इन्डियन होटल्स क0 लि0, नई दिल्ली,
3॥ मे0 यू0पी0 होटल्स लि0,लखनऊ,
4॥ मे0 आरिफ इन्डस्ट्रीज लि0,लखनऊ,
5॥ मे0 यमुना होटल्स प्रा0लि0,नई दिल्ली ,
6॥ मे0 निधि होटल्स निधि प्रा0लि0 देहरादून,
7॥ मे0 सर्वश्री मेघदूत होटल्स प्रा0लि0 कानपुर,
8॥ मे0 सूर्या होटल्स, नई दिल्ली ।

3- प्राधिकरण ने विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लियाः

"होटल के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया गया तथा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि गोमती नगर योजना में निम्नांकित दो ही होटल्स को भूमि देना उपयुक्त पाया गया :

कः मे0 रीजेन्सी होटल्स

खः मे0 इन्डियन होटल्स

चूँकि मे0 रीजेन्सी होटल्स लि0 द्वारा अधिक भूमि की माँग की गई है, अतएव उन्हे गोमती नगर योजना में भूमि प्रस्तावित शर्तों पर दे दी जाये ।

कानपुर रोड योजना में जो प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं, उनमें मे0 सूर्या होटल्स को सबसे अधिक उपयुक्त पाया गया अतएव कानपुर रोड योजना के सेक्टर "बी" या अन्य किसी सेक्टर में भूमि उपलब्ध करा दी जाये ।"

4- उपरोक्त निर्णय के अनुसार मे0 रीजेन्सी होटल्स लि0 को गोमती नगर योजना में भूमि के आवन्टन हेतु प्रस्ताव भेज दिया गया है साथ ही कानपुर रोड योजना में मे0 सूर्या होटल्स को आवन्टन हेतु प्रस्ताव भेज दिया गया है ।

5- मे0 इन्डियन होटल्स क0 लि0॥ताज होटल॥ ने अपने पत्र दिनांक 20-9-86 द्वारा पुनः अनुरोध किया है कि उन्हे गोमती नगर योजना में पूर्व में माँगी गई 3 एकड़ भूमि के स्थान पर 5 एकड़ भूमि आवन्टित कर दी जाये । साथ ही 25 एकड़ भूमि मनोरंजन हेतु विकसित करने हेतु आवन्टित कर दी जाये । उपरोक्त होटल के पत्र दिनांक 20-9-86 की प्रति संलग्न है ।

<u>प्रस्ताव</u>

प्राधिकरण कृपया उपरोक्त विषय पर निर्णय लेने का कष्ट करें ।मैं

COPY OF LETTER NO.IHC/SB/390 DATED 20.9.86 FROM SRI S. BALASUBRAMANIAN, GENERAL MANAGER, THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED, TAJ PALACE HOTEL, NEW DELHI TO THE VICE CHAIRMAN, LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY.

SUB :: APPLICATION FOR ALLOTMENT OF LAND FOR A 5 STAR HOTEL AT LUCKNOW.

We thank you for the kind courtesy extended by you when the undersigned visited your office alongwith Mr. D.K. Seri, on 17th September. We were given to understand by you that the Lucknow Development Authority has allotted a piece of land to another hotelier at the Gomti Nagar Scheme. You were, however, kind enough to mention that it may be possible for LDA to allot another piece of land to the Taj Group of Hotels at Gomti Nagar Scheme itself.

We are very keen on the piece of land near the Indira Gandhi Convention Centre on the Gomti river front for the purpose of putting up a hotel of international standards at Lucknow. We had initially asked for 3 acres of land for the Hotel and an additional 25 acres for recreational purposes. Since you had mentioned that the amount of money paid for by the Hotel Company to LDA is an important consideration in allotting land to the hoteliers, we hereby increase our requirement of land for the hotel from 3 acres to 5 acres alongwith an additional 25 acres for recreational purposes.

As we had mentioned in our origrinal application, we have tentatively planned a swimming pool, tennis court, Croquet, Children's Playing facilities, Garden, Open Gymnasium, Children's Swimming Pool, Volley Ball Courts and Handicrafts Village depicting Handicrafts from various States of India on the additional land to be allotted to us for the recreational purposes.

We would again like to reiterate that the Indian Hotels Co. Ltd. (IHCL) is one of the leading companies in India and owns and operates the famous Taj Group of Hotels. Major hotels in the group includes The Taj Mahal and The Taj Mahal Intercontinental Hotel in Bombay; The Taj Mahal and Taj Palace Hotel, New Delhi; President Hotel, Bombay and Taj Coromandel Hotel, Madras. It has hotels in places of tourist interest like Jaipur, Udaipur, and Benares and a Beach Resort Hotel in Goa and Connemara Hotel, Madras.

The Taj Group also has operations outside India in Sanaa, and Shri Lanka. The Taj Group of Hotels is in the process of putting up hotels in Calcutta and Bombay, besides renovating and refurbishing hotels in Agra, Jaipur and Cochin.

Contd.....2....

We have pleasure in enclosing with this application the fact sheets of various hotels in our chain which give in brief the kind of facilities which we have in different hotels in our chain.

May we now strongly request you to consider our application favourably for the allotment of 5 acres of land for the hotel and an additionl 25 acres for recreational purposes in the Gomti Nagar Scheme on the Gomti river front contiguous to the Indira Gandhi Convention Centre being planned by the Government of Uttar Pradesh, and hotel site allotted to the other hotelier.

We hope for an early consideration to our application.

विषयः विभिन्न व्यक्तियों की योजनाओं के अन्तर्गत अर्जित भूमि के बदल विकसित भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्तावः विभिन्न योजनाओं में जो भूमि अर्जित की जाती है, और भूमि के अर्जन के पश्चात् भू-विन्यास बनाया जाता है,तो ऐसे व्यक्तियों की पूर्ण या आंशिक रूप से भूमि लेनी पड़ती है, जिनकी भूमि, भूमि अर्जन के क्षेत्र में आ जाती है, भूमि अर्जन के पश्चात् भू-विन्यास बनाते समय कुछ व्यक्तियों की भूमि सड़क को सीधा करने के लिये भी लेनी पड़ती है । ऐसी परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति विकसित भूखण्ड दिये जाने की मांग करते हैं ।

2. उक्त व्यवस्था से सम्बन्धित विषय प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6-9-86 में विषय संख्याः8 के अन्तर्गत रखा गया था जिसमें यह अनुशंसा की गई थी कि इस प्रकार के व्यक्तियों को जो विकसित भूखण्ड दिये जायें, उनके मामले में जिस तिथि को प्राधिकरण द्वारा भूमि का कब्जा लिया गया हो, उस तिथि को प्रचलित दर से भूमि का प्रीमियम तथा उस पर भूमि अर्जन अधिनियम के अनुसार प्रथम वर्ष हेतु 9प्रतिशत तथा आगामी वर्षों के लिये 15 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाकर प्रीमियम की गणना कर ली जाये । तद्नुसार प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव यथावत् स्वीकार किया गया था ।

3. इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि उपरोक्त ब्याज की दरें (9 प्रतिशत वार्षिक तथा 15 प्रतिशत वार्षिक) भूमि अर्जन संशोधित अधिनियम के प्राविधान के अनुसार माह सितम्बर,1982 से लागू है । इससे पूर्व भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का प्राविधान था । अतः ऐसे मामलों में जिनमें उपरोक्त प्रकार के व्यक्तियों की भूमि, उपरोक्त भूमि अर्जन संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले ले ली गई थीं, तो उनके मामलों में ब्याज की दर उस समय के प्राविधान के अनुसार 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से लगायी जाये ।

:: प्रस्ताव ::

1) सितम्बर,1982 से पूर्व के मामलों में 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाये ।

11) सितम्बर,1982 के बाद के मामलों में प्राधिकरण द्वारा पूर्व स्वीकृत के अनुसार ब्याज दरें (9 प्रतिशत वार्षिक पहले वर्ष के लिये तथा 15 प्रतिशत वार्षिक आगामी वर्षों हेतु (लगाई जायें ।

विषय संख्याः 7 पृष्ठ संख्याः 21

विषयः श्री गोपाल शर्मा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी के लखनऊ विकास प्राधिकरण की किसी भी योजना में रियायती दर पर भूखण्ड आवन्टन के सम्बन्ध में

==========

श्री गोपाल शर्मा, अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन्होंने कई बार भारत की ओर से विदेश जाकर तथा भारत में भी क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया है । यह भारत के एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, यदि इन्हे लखनऊ विकास प्राधिकरण की किसी भी योजना में रियायती दर पर भूखण्ड आवन्टित किया जाता है तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी का मनोबल तथा उत्साह में काफी वृध्दि होगी ।

अतः यह मामला प्राधिकरण के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है कि श्री गोपाल शर्मा से भूखण्ड की दर उनके खेल जगत की उपलब्धियों को देखते हुए सामान्य दर से आधी दर पर दे दिया जाये ।

<u>प्रस्ताव</u>

प्रस्ताव है कि श्री गोपाल शर्मा को भूखण्ड आवन्टित कर इनसे भूखण्ड की दर सामान्य दर से आधी दर पर लिया जाये ।

विषय: श्री जीवेन्द्र नाथा कौल को भूखण्ड संख्या- 51 के आवन्टन हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26 जुलाई, 1986 में गठित उप-समिति की रिपोर्ट के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

उप-समिति की रिपोर्ट

श्री जीवेन्द्र नाथा कौल ने माननीय नगर विकास मन्त्री, उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक 10-3-86 को एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होने कहा कि भूखण्ड संख्या- 24 उन्हे आरा मशीन योजना हेतु शासनादेश संख्या- 4536(एच) दिनांक 24-10-63 द्वारा निर्धारित दरों पर आवन्टित किया गया था । इस भूखण्ड के सामने स्थित भूखण्ड संख्या: 51 को भी उन्होने तत्कालीन नगर-महापालिका अधिकारियों से आवन्टित करने का अनुरोध किया था तथा महा-पालिका के अधिकारियों ने उन्हे भूखण्ड को आवन्टित करने का आश्वासन भी दिया था किन्तु कतिपय कारणों से महापालिका के अधिकारी दिये गये आश्वासन की पूर्ति नहीं कर सके और इस बीच वर्ष 1974 में लखनऊ विकास प्राधिकरण के गठन हो जाने के फलस्वरूप यह विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आ गया । प्रार्थना-पत्र में यह भी कहा गया कि मौके पर खाली पड़े इस भूखण्ड पर लोगों ने अनधिकृत कब्जे का प्रयास किया । अनधिकृत कब्जे की आशंका से उन्होने उक्त प्लाट पर अपनी लकड़ी आदि रखना प्रारम्भ कर दिया और उक्त प्लाट को स्टोर के रूप में प्रयोग में लाने लगे । साथ ही साथ लखनऊ-विकास प्राधिकरण को भी बार-बार प्रार्थना-पत्र वे देते रहे कि उक्त भूखण्ड का आवन्टन उनके नाम कर दिया जाये ।

माननीया राज्य मन्त्री जी ने श्री कौल के इस प्रार्थना-पत्र पर यह आदेश दिये कि श्री कौल से निर्धारित शुल्क जमा कराकर नियमानुसार आवन्टन की कार्यवाही की जाये । श्री कौल के पक्ष में आवन्टन हेतु मामला शासन को सन्दर्भित किया गया । शासन ने यह निर्देश दिये कि चूकिं प्राधिकरण आवन्टन करने के लिये अधिकृत है इसलिये प्राधिकरण कार्यवाही अपने स्तर से करे । यह एक नीति विषायक मामला था इसलिये यह उचित समझा गया कि श्री कौल के प्रार्थना-पत्र को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26-7-1986 में रखा दिया जाये कि क्या श्री जीवेन्द्र नाथा कौल को भूखण्ड संख्या- 51 का विनियमतीकरण कर दिया जाये तथा क्या ऐसे अन्य अनाधिकृत कब्जेदारों के पक्ष में भी यही नीति अपनाई जाये ।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26 जूलाई, 1986 में इस बिन्दु पर यह निर्णय लिया कि श्री जीवेन्द्र नाथा कौल के भूखण्ड संख्या: 51 के विनियमतीकरण के लिये उप-समिति गठित कर दी जाये जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
2- डा0 वी0एन0खान्ना,
3- सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण

क्रमशः---

समिति ने मामले का परीक्षण किया तथा यह पाया कि श्री जीवेन्द्र नाथ कौल भूखण्ड संख्या: 51 पर अनाधिकृत रूप से काबिज हैं। इस भूखण्ड पर वे उन्हे आवन्टित भूखण्ड संख्या- 24 [illegible] के लिये लकड़ी का स्टोर करते हैं। समिति को यह जानकारी हुई कि भूखण्ड संख्या- 51 जिस क्षेत्र में स्थित है वह क्षेत्र महायोजना में आवासीय है इसलिये समिति ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि भूखण्ड संख्या- 51 का विनियमतीकरण पूर्णतया: वाणिज्यिक प्रयोग हेतु नहीं किया जा सकता है। लेकिन चूकिं समिति श्री कौल के इस कथन से सन्तुष्ट है कि भूखण्ड संख्या- 51 पर इनका क़ब्ज़ा काफ़ी समय से है तथा चूकिं श्री कौल भूखण्ड को उनके पक्ष में आवन्टन हेतु काफ़ी समय से प्रयत्नशील हैं तथा चूकिं इस भूखण्ड पर श्री कौल केवल लकड़ी आदि को ही स्टोर कर रहे हैं अत: समिति भूखण्ड संख्या- 51 को इस शर्त के साथ विनियमतीकरण करने का निर्णय लेती है कि वे इस भूखण्ड पर न तो आरा मशीन लगायेंगे और न ही कोई निर्माण कार्य करेंगे वरन् इस भूखण्ड पर वे केवल पूर्व की भांति लकड़ी आदि स्टोर करेंगे। यह आवन्टन पूर्णतया: अस्थायी होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर श्री कौल उक्त भूखण्ड का क़ब्ज़ा प्राधिकरण को 15 दिन की नोटिस पर ही दे देंगे। यह अस्थायी आवन्टन इन शर्तों के उल्लंघन की दशा में स्वत: निरस्त हो जायेगा तथा भूखण्ड का क़ब्ज़ा प्राधिकरण में निहित हो जायेगा। समिति यह भी निर्णय लेती है कि प्रश्नगत भूखण्ड का विनियमतीकरण शासनादेश की दर से 16 प्रतिशत दण्ड ब्याज ½ क़ब्जे की तिथि से ½ की दर पर किया जाये। समिति यह भी निर्णय लेती है कि भविष्य में यदि इसी प्रकार के आवन्टियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हों तो उनपर भी सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जाये।

प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ उप-समिति की उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत है।

विषय :- <u>दिनांक 14.8.86 को ल0 वि0 प्राधिकरण के माननीय सदस्यों में परिचालित प्रस्ताव का अनुमोदन</u>

लखनऊ विकास प्राधिकरण के समस्त माननीय सदस्यों को पत्र दिनांक 14.8.86 द्वारा विस्तृत टिप्पणियाँ प्रेषित कर निम्नांकित विषयों के सम्बन्ध में सहमति प्राप्त की गयी:-

1- (अ) सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना फेज़ - 1 पार्ट- 2 में 23.87 लाख 12 % ब्याज पर व 81.55 लाख 15½ ब्याज पर हडको से ऋण लेने की अनुमति।

(ब) सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को एग्रीमेन्ट की कार्यवाही पूर्ण करने की अनुमति।

(स) उक्त योजना हेतु सम्पादित होने वाले एग्रीमेन्ट पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की कामन सील लगाने की अनुमति।

2- (अ) सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना फेज- 1 में 100.00 लाख 12 % ब्याज पर हडको से ऋण लेने की अनुमति।

(ब) सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को एग्रीमेन्ट की कार्यवाही पूर्ण करने की अनुमति।

(स) उक्त योजना हेतु सम्पादित होने वाले एग्रीमेन्ट पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की कामन सील लगाने की अनुमति।

3- (अ) कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग- 3 (प्रथम चरण) में 289.60 लाख . 15% ब्याज पर हडको से ऋण लेने की अनुमति।

(ब) सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को एग्रीमेन्ट की कार्यवाही पूर्ण करने की अनुमति।

(स) उक्त योजना हेतु सम्पादित होने वाले एग्रीमेन्ट पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की कामन सील लगाने की अनुमति।

क्रमशः ध्यध्य

क्रमशः... 2

4- (अ) उजरियाँव आवासीय योजना फेज- 2 (गोमती नगर योजना) पार्ट- I में 299.84 लाख 15 % ब्याज पर हडको से ऋण लेने की अनुमति।

(ब) सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को एग्रीमेन्ट की कार्यवाही पूर्ण करने की अनुमति।

(स) उक्त योजना हेतु सम्पादित होने वाले एग्रीमेन्ट पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की कामन सील लगाने की अनुमति।

5- (अ) कानपुर रोड नगर प्रसार योजना फेज- 2 (पार्ट - 2) के अन्तर्गत 344.06 लाख 15 % ब्याज पर हडको से ऋण लेने की अनुमति।

(ब) सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को एग्रीमेन्ट की कार्यवाही पूर्ण करने की अनुमति।

(स) उक्त योजना हेतु सम्पादित होने वाले एग्रीमेन्ट पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की कामन सील लगाने की अनुमति।

अनुमोदित

हस्ताक्षर /-
(गोविन्दन नायर)
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

हस्ताक्षर /-
(राम कृष्ण)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषय:- स्व0 श्री प्रभु, सुपरवाइज़र को हेड माली के पद में प्रत्यावर्तित करने के संबंध में।

प्रस्ताव:- स्व0 श्री प्रभु राज्य सरकार के उद्यान विभाग में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत् थे। राज्य सरकार के उद्यान जब महापालिका को हस्तान्तरित हुये तब उद्यान विभाग में कार्यरत् कर्मचारी भी महापालिका को हस्तान्तरित हुये। चूँकि महापालिका में सुपरवाइजर का पद सृजित नहीं था। अत: स्व0 श्री प्रभु, सुपरवाइजर के रूप में वेतनमान 45-90 में वेतन प्राप्त करते रहे। महापालिका में अभी भी सुपर-वाइज़र का पद सृजित नहीं है। अत: इस कर्मचारी को पेंशन देने में आपत्ति लगाई गई है। महापालिका में हेड माली के पद सृजित हैं। अत: यह प्रस्ताव है कि सुपरवाइज़र का यह पद जिस पर स्व0 श्री प्रभु कार्यरत् थे, को हेड माली जिसका वेतनमान रू0 168-2-188-द0रो0 3-218 दिनांक 1.10.74 से प्रत्यावर्तित कर दिया जाये ताकि सम्बन्धित कर्मचारी के पेंशन भुगतान में लगाई गई आपत्ति का निराकरण हो जाये।

विषाय सॅख्या: 11 पृष्ठ सॅख्या: 27

विषाय: कास्टिॅग विभाग हेतु स्टाफ़ के सम्बन्धा में ।

आख्या: लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाॅक 29-3-85 में विषाय सॅख्या- 8 के अन्तर्गत कास्टिॅग विभाग में अतिरिक्त स्टाफ़ की माॅग से सम्बन्धित विषाय रक्खा गया था । रक्खे गये विषाय की प्रति सॅलग्न है (अनुलग्नक "क") । विचारोपरान्त इस निदेश के साथ प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सॅख्या दो रक्खी जाये और यदि आवश्यकता हो तो शासन की भी अनुमति ले ली जाये । तद्नुसार विषाय शासन को सन्दर्भित किया गया था परन्तु अभी तक शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है ।

2. लखानऊ विकास प्राधिकरण के कार्य कलाप बढ़ने के फलस्वरूप कास्टिॅग विभाग में भी कार्य बढ़ा है । इस प्रकार वर्तमान स्टाफ़ से कार्य लिया जाना सम्भाव नहीं हो पा रहा है । अत: इस सम्बन्धा में यह सुझाव है कि जिस प्रकार नियोजन विभाग तथा कम्प्युटर विभाग के पदों को शासन की स्वीकृति प्राप्त होने तक अन्तरिम व्यवस्थाा के रूप में कान्ट्रैक्ट बेसिस पर पदों की भार्ती हेतु प्राधिकरण व्दारा स्वीकृति प्रदान की गई है, उसी प्रकार प्राधिकरण अपनी बैठक दिनाॅक 29-3-85 में अनुमोदित कास्टिॅग विभाग के स्टाफ़ मे कम से कम सॅलग्न विवरण में अकिॅत तालिका की क्रम सॅख्या-2 तथा 5 के पदों पर नियुक्ति कान्ट्रैक्ट बेसिस पर करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें ।

प्र स्ता व

प्राधिकरण कृपया उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें ।

xxxxxxxx

अनुलग्नक "क"
==========

पृष्ठ संख्या: 28

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29-3-85 की
विषय संख्या- 8 का उद्धरण

विषय: कास्टिंग एवं इकोनामिक प्लानिंग विभाग हेतु स्टाफ़ के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यकलाप प्रति वर्ष बढ़ते चले जा रहे हैं । जैसा कि गत तीन वर्षों के निम्नलिखित वास्तवित व्यय से ज्ञात होगा :-

वर्ष	वास्तविक व्यय (रु0 करोड़ में)
1981-82	6.68
1982-83	17.02
1983-84	28.58

वर्तमान वित्तीय वर्ष का बजट लखनऊ विकास प्राधिकरण ने रु0 60.05 करोड़ से घटाकर रु0 42.74 करोड़ कर दिया था। जिसके विपरीत जनवरी, 1985 तक रु0 25.00 करोड़ का व्यय हो चुका है । आशा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने पूर्व निर्धारित बजट के अनुसार ही व्यय कर लेगा ।

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि वर्तमान स्टाफ़ से आगे कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, अत: स्टाफ़ की माँग निकाली गई है जो संलग्न विवरण में स्टाफ़ की आवश्यक्ता, वर्तमान स्टाफ़ के अतिरिक्त स्टाफ़ दर्शायी गया है । अतिरिक्त स्टाफ़ पर रु0 1,38,000/- वार्षिक व्यय अनुमानित है ।

निर्णय

विचारोपरान्त इस निदेश के साथ स्वीकार किया गया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या- 2 रक्खी जाये तथा यदि आवश्यक हो तो शासन की भी अनुमति ले ली जाये ।

xxxxxxx

STATEMENT SHOWING REQUIREMENT OF STAFF FOR COSTING AND ECONOMIC PLANNING DEPARTMENT

Sl. No.	Name of Post	Pay-Scale	No. of Posts required	No. of Existing posts	No. of extra Posts required	Monthly emoluments for extra posts
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cost Accountant Cum-Economic Planner	1780-2300	1	1	Nil	(Approx.)(Rs.)
2.	Dy.Cost Accountant	850-1720	1	-	1	1,520.00
3.	Assistant Economic Planner	850-1720	1	-	1	1,520.00
4.	Senior Assistant Cost-Accountant	570-1100	3	3	Nil	-
5.	Economic Planning Assistant	570-1100	2	-	2	2,185.00
6.	Assistant Cost Accountant	485-860	2	2	-	1,889.28
7.	Costing Clerks	360-620	1	1	1	700.00
8.	Steno	420-735	1	1	Nil	-

Contd.....

1	2	3	4	5	6	7
9.	Second Grade Clerks					
	i. Dairy and despatch Clerks	340-550	2	1	1	642.00
	ii. Typist	340-550	2	1	1	642.00
	iii. Peons	305-390	7	3	4	2,323.00
						==========
				For one month		11,421.28
						==========

For one year: 11,421.28x12=Rs.1,37,055.36

Say : Rs. 1,38,000.00

विषय:- "चतुर्थ श्रेणी वर्ग के पदों के सृजन हेतु"

आर० बी० ओ० अनुभाग

शहर में अनाधिकृत निर्माण दिन प्रति-दिन बढ़ रहे हैं। नित्य ही बड़ी संख्या में अनाधिकृत निर्माण की शिकायतें प्राप्त होती हैं। जिसके फलस्वरूप जॉच कराने से लेकर अनाधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने या उनके शमन करने का कार्य निरन्तर बढ़ रहा है। इस समस्या के प्रभावी निदान हेतु यह आवश्यक है कि इस अनुभाग के लिए निम्नलिखित पद सृजित किये जॉय। वर्तमान में इस अनुभाग में कोई भी नियमित पद नहीं है।

पद	संख्या	वेतनमान
गैंग -मेन	50	305-390
वार्ड अनुचर	15	305-390

प्रस्ताव यह है कि 25-25 गैंगमैनों के दो गैंग स्थायी तौर पर अनाधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने का कार्य करेंगें। वर्तमान में 35 दैनिक वेतन भोगी ही गैंगमैन के रूप में कार्य कर रहें हैं। यह व्यवस्था संतोष-जनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है और न ही यह संख्या ही प्रयाप्त है।

शहर को कार्य-हित 13 वार्डों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वार्ड के लिए एक अनुचर नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव है। यह अनुचर उक्तवार्ड की समस्त नोटिसों आदि की तामीली का कार्य करेगा। दो वार्ड अनुचर आर०बी०ओ० विभाग के कार्यालय के लिए प्रस्तावित किये जा रहे हैं। वर्तमान में आर०बी०ओ० अनुभाग के लिए कोई भी वार्ड अनुचर का नियमित पद स्वीकृत नहीं है। यह कार्य किसी प्रकार बिल्डिंग एवं अन्य अनुभाग में - में कार्यरत अनुचरों के माध्यम से सम्पादित कराया जा रहा है। वर्तमान व्यवस्था न केवल अप्रयाप्त वरन् असंतोष-जनक भी है।

भवन अनुरक्षण : भवन अनुरक्षण विभाग द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित या लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित समस्त पुरानी कालोनियों के रख-रखाव का कार्य सम्पादित किया जा जाता है।

क्रमशः...

इन पुरानी कालोनियों में निर्मित आवासों की स्थित दिनों दिन आवासों के पुराने हो जाने के कारण खराब होती जा रही है जिसकी वजह से उनके रख-रखाव की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। वर्तमान में इस कार्य हेतु जो पद स्वीकृत हैं वह प्रयाप्त नहीं है और इसी वजह से इन कालोनियों में निर्मित आवासों के समुचित रख-रखाव के कार्य में बाधा होती है। अत: प्रस्ताव है कि इस अनुभाग के लिए निम्नलिखित पद सृजित किये जायें।-

पद	संख्या	वेतनमान्
इलेक्ट्रीशियन	3	330-495
कारपेन्टर	1	330-495
मेशन	1	305-390
प्लम्बर	2	330-495
पेन्टर	1	330-495
हेल्पर इलेक्ट्रीशियन	3	330-495
हेल्पर कारपेन्टर	1	330-495
हेल्पर मेशन	1	305-390
हेल्पर प्लम्बर	1	330-495
जमादार	10	305-390
चौकीदार	2	305-390
बेलदार	4	305-390

वर्तमान में स्वीकृत पदों की स्थितिसंलग्न है।

उद्यान विभाग :

विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं अनुरक्षित पार्कों के रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य निरन्तर बढ़ रहा है और दिन प्रति दिन पार्कों की संख्या भी बढ़ रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में नियमित कर्मचारियों के आवश्यक पदों के अभाव में इन पार्कों की देख-भाल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से कराया जा रही है। इनमें से अधिकांश तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत् हैं। इन कर्मचारियों का नियमितीकरण भी किया जाना है। इस हेतु भी नियमित पदों की आवश्यकता है।

क्रमश:--

अत: पार्कों के लिए निम्नलिखित पदों के सृजन की संस्तुति की जाती है:-

पद	संख्या	वेतनमान्
प्रधान माली	6	315-440
सुपरवाइजर	13	315-440
मेट	1	315-440
बेलदार माली	181	305-390
सफाई कर्मचारी	10	305-390
पम्प आपरेटर	1	315-440
ड्राइवर	2	330-495
अनुचर	2	305-390

उपरोक्त के अतिरिक्त पार्कों के निर्माण सम्बन्धी रख-रखाव तथा पार्कों में उपलब्ध प्राधिकरण की सम्पत्ति की देख-भाल का कार्य अभियन्त्रण विभाग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भी इस कार्य हेतु कोई भी नियमित पद उपलब्ध नहीं है।जबकि पार्कों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए अभियन्त्रण से सम्बन्धित कार्य भी निरन्तर बढ. रहे हैं। पार्कों में प्राधिकरण की काफी मूल्यवान सम्पत्ति भी काफी मात्रा में है जिसकी सुरक्षा की भी नितान्त आवश्यकता है। अत: इन पार्कों की उचित व्यवस्था एवं सम्पत्ति की उचित सुरक्षा हेतु अभियन्त्रण विभाग के लिए निम्नलिखित पदों के सृजन का प्रस्ताव है:-

पद	संख्या	स्थान	वेतनमान्
पम्प आरेटर	2	नींबू बाग, पार्क एवं नजूल पार्क	315-440
मेशन	1	नजूल पार्क	305-390
मेट	1	बुद्धा पार्क	315-440
चौकीदार	50		305-390
गेटकीपर	20		305-390
हेल्पर बेलदार	10	हाथी पार्क, नजूल एवं बुद्धा पार्क	305-390
स्वीपर	10		305-390
कैनाल क्लीनर	7	बुद्धा पार्क	305-390
सुपरवाइज (बोट)	2	बुद्धापार्क	315-440
इलेक्ट्रीशियन	4	हाथी पार्क, रेजीडेन्सी, नींबू पार्क, बुद्धा पार्क	330-495

क्रमश:...

प्राधिकरण के मुख्यालय एवं बाहरी कार्यालयों के लिए चौकीदारों के अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव

विकास प्राधिकरण कार्यालय, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यालय है के अतिरिक्त 12 अभियन्त्रण खण्ड कार्यालय वर्तमान में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त विभाग के अभियन्त्रण स्टोर कार्यालय प्रांगण के बाहर ही स्थित हैं। इन सभी कार्यालयों के लिए वर्तमान में कुल सात चौकीदारों के नियमित पद स्वीकृत हैं जो कि कार्यालयों एवं स्टोर्स की संख्या को देखते हुए बिल्कुल अपर्याप्त हैं। नियमित पदों के अभाव में इन सभी कार्यालयों की चौकीदारी का कार्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से लिया जा रहा है जो कि उचित नहीं है। अतः प्रस्ताव है कि चौकीदारों के निम्नलिखित पद सृजित कर दिये जायें:-

पद	संख्या	वेतनमान्
चौकीदार	20	305-390

ड्राइवरों के अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव:-

वर्तमान में प्राधिकरण में केवल 25 ड्राइवरों के नियमित पद स्वीकृत हैं जबकि प्राधिकरण में हल्के एवं भारी वाहनों की संख्या लगभग 46 है। कुछ नयी गाड़ियों के क्रय का मामला विचाराधीन है। स्वीकृत पदों के अतिरिक्त ड्राइवर की आवश्यकता की पूर्ति दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से की जा रही है। यह व्यवस्था उचित नहीं है। अतः प्रस्ताव है कि ड्राइवरों के निम्नलिखित पद सृजित कर दिये जायें।

पद	संख्या	वेतनमान्
ड्राइवर	25	330-495

विषाय सँख्या: 13 पृष्ठ सँख्या: 35

विषाय: प्राधिकरण के चतुर्थ श्रेणीकर्मचारियों को सायकिल भत्ता दिये जाने के सम्बन्धा में ।

प्राधिकरण के चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों को सायकिल भत्ता दिया जाता है जो अपनी निजी सायकिल का प्रयोग सरकारी कार्य के लिये करते हैं । वर्तमान में सायकिल भत्ता की दर रू0 20/- प्रति माह है । प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 6-9-1986 में लिये गये बैठक के निर्णय के अनुरूप, जिसके व्दारा मोटर कार तथा मोटर सायकिल भत्ते की दर में वृध्दि की गयी है, यह प्रस्ताव है कि सायकिल भत्ते की दर रू0 20/- से बढ़ाकर रू0 30/- कर दी जाये तथा इस बढ़े हुए दर से इन कर्मचारियों को भी पिछली बैठक दिनाँक 6-9-86 से ही भुगतान किया जाये ।

कृपया प्राधिकरण इस सम्बन्धा में निर्णय लेने का कष्ट करें ।

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण में स्टेटिकल सेल की स्थापना की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विकास प्राधिकरण म व्दारा किये जा रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट निरन्तर शासन एवं अन्य अधिकारियों एवं विभागों को भेजनी पड़ती है । इनमें से कुछ रिपोर्टें मासिक हैं जिन्हे प्रतिमाह शासन को भेजना होता है । इसके अतिरिक्त कभी-कभी अन्य सूचनायें भी शासन एवं अन्य विभागों तथा जन-प्रतिनिधियों व्दारा माँगी जाती हैं । वर्तमान में प्रगति के आँकड़ो को सुव्यवस्थित रूप से एकत्रित करने एवं उन्हे प्रस्तुत करने की कोई भी समुचित व्यवस्था प्राधिकरण में नहीं है तथा यह आँकड़े कभी स्थापना तथा कभी लेखा विभाग तथा कभी कास्ट एकाउन्टेन्ट व्दारा एकत्रित करके प्रस्तुत किये जाते हैं । अत: प्रस्ताव है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा किये जा रहे कार्यों की प्रगति के आँकड़ों को एकत्रित करके उन्हे सम्बन्धित अधिकारियों, विभागों, जन-प्रतिनिधियों एवं शासन को भेजने हेतु एक स्टैटिकल सेल (सांख्यकीय अनुभाग) की स्थापना की जाये, जिसमें निम्नलिखित कर्मचारियों/अधिकारियों को एक वर्ष के कान्ट्रैक्ट पर नियुक्त करने का प्रस्ताव है :

(1)- सांख्यकीय अधिकारी	पद	एक
2- शैक्षिक योग्यता :	एम0ए0, अर्थशास्त्र (सांख्यकी विषय के साथ) अथवा एम0काम0 (सांख्यकी विषय के साथ) "एम0ए0 अथवा एम0काम0 की परीक्षा कम से कम व्दितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की हो तथा 55% से अधिक अंक प्राप्त किये हों" । अनुभवी अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी ।	
3- वेतन :	रू0 1500/- प्रतिमाह	
4- आयु :	अधिकतम 35 वर्ष	
(2) सांख्यकीय सहायक:	पद	दो
2- शैक्षिक योग्यता:	एम0ए0, अर्थशास्त्र (सांख्यकी विषय के साथ) अथवा एम0काम0 (सांख्यकी विषय के साथ)	
3- वेतन :	रू0 1,000/- प्रतिमाह	

विषाय: लखानऊ विकास प्राधिकरण में स्थापित मलिन बस्ती सुधार सेल में सृजित पदों के लिये निर्धारित योग्यताओं को शिथिल करने का प्रस्ताव ।

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26 जूलाई 1986 में विकास प्राधिकरण में मलिन-बस्ती सुधार सेल स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया । इस सेल हेतु निम्नलिखित पद एक वर्ष के लिये कान्ट्रैक्ट बेसिस पर सृजित करने का प्रस्ताव किया गया । इन पदों के लिये निर्धारित की गई शैक्षिक योग्यतायें पदों के सम्मुख अंकित हैं:-

(1) समाज-शास्त्री — पद् एक

शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव :	समाज शास्त्र में रिसर्च की डिग्री तथा तीन वर्ष की टीचिंग/रिसर्च/सामाजिक कार्य का अनुभव ।
वेतन :	रू0 1500/- प्रतिमाह
आयु :	25 से 35 वर्ष

(2) सामाजिक कार्यकर्ता — पद् दो

शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव :	समाज शास्त्र में कम से कम 55% या इससे अधिक प्राप्तांक के साथ एम0ए0 की डिग्री तथा दो वर्ष का सामाजिक कार्य का अनुभव ।
वेतन :	रू0 1,000/- प्रति-माह
आयु :	25 से 35 वर्ष

उपरोक्त पदों के चयन हेतु समाचार-पत्रों में इसका विज्ञापन देकर अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये । प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया ।

समाज-शास्त्री पद् के लिये निर्धारित योग्यता रखने वाले किसी भी अभ्यर्थी का प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ और इसी लिये इस पद् के लिये चयन नहीं किया जा सका । इस पद् के लिये निर्धारित न्युन्तम योग्यता समाज-शास्त्र में रिसर्च डिग्री तथा तीन वर्ष का अनुभव है, वेतनमान रू0 1500/- निर्धारित है, पद् केवल एक वर्ष के लिये है । पद् की अल्प अवधि एवं वेतन को देखते हुए यह निर्धारित न्युन्तम योग्यता उचित नहीं प्रतीत होती है और इसी कारण से प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए । इस पद् पर चयन हेतु, अत: निर्धारित योग्यता को शिथिल करने का प्रस्ताव है । सुझाव है कि इस पद् पर ऐसे अभ्यर्थियों को जो रिसर्च कर रहे हों को नियुक्त करने की अनुमति दी जाये । अनुभवी अभ्यर्थियों को वरीयता देने का प्रस्ताव है ।

सामाजिक कार्य-कर्ताओं के दोनों पदों पर नियुक्तियाँ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर ली गई हैं किन्तु जिन अभ्यर्थियों को चुना गया है उन्हें निर्धारित दो वर्ष का कार्य का अनुभव प्राप्त नहीं है । ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन-पत्र नहीं भेजे थे । यह अनुभव किया गया कि इस पद् के लिये निर्धारित योग्यता भी वेतन एवं पद् की अल्प-अवधि को देखते हुए उचित नहीं थी । अत: अनुरोध है कि निर्धारित दो वर्ष के अनुभव को शिथिल कर दिया जाये ।

विषय संख्या: 16 पृष्ठ संख्या: 38

विषय: कर्मचारी कल्याण निधि (बेनीवेलेन्ट) फन्ड की स्थापना ।

========

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11-4-86 में कर्मचारियों/अधिकारियों के कल्याणार्थ एक निधि की स्थापना का प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत किसी कर्मचारी/अधिकारी की असामयिक मृत्यु पर एवं कोई गम्भीर बीमारी स्थाई विकलांगता की स्थिति में फन्ड से सहायता दिये जाने का प्राविधान है । इस निधि में कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा पंजीकरण शुल्क एवं मासिक अंशदान जमा कराया जाना है तथा इतनी ही धनराशि प्राधिकरण द्वारा निधि में जमा की जानी है । तद्नुसार उपलब्ध आदेश प्राप्त कर इस निधि की स्थापना दिनांक 1-11-86 से कर दी गई है । प्राधिकरण कृपया कृत कार्यवाही अनुमोदन करने का कष्ट करें ।

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण के पार्कों के रख-रखाव के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास लगभग एक सौ से अधिक पार्क हैं जिनके रख-रखाव पर प्रतिवर्ष रू0 15.00 लाख व्यय होता है तथा लगभग 50.00 लाख रूपये नये पार्कों के विकास कार्य पर व्यय होता है । पार्कों से प्रतिवर्ष लगभग 4.00 लाख रूपये की आय होती है जिससे यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा नगर के सौन्द्रीयकरण पर एक बहुत बड़ी धनराशि अपने श्रोतों से व्यय की जा रही है ।

अनेकों पबलिक सेक्टर की एजेन्सी, प्राइवेट कम्पनियों तथा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर यह प्रस्ताव किया जाता रहा है कि वे पार्कों को मेनटेन कर सकते हैं यदि उन्हे उनकी संस्था के ज्ञापन की अनुमति दे दी जाये । यदि कुछ पार्कों को मेनटेनेन्स हेतु दे दिया जाता है तो उससे बचत होगी एवं उससे अन्य पार्कों को विकसित करके नगर के सौन्द्रयीकरण में वृध्दि की जा सकेगी ।

अत: उपरोक्त विवेचना के आधार पर निम्नांकित प्रस्ताव प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:-

(1) लखनऊ विकास प्राधिकरण सिध्दान्तत: पार्कों के रख-रखाव का कार्य लाइसेन्सी के तौर पर दे दे ।

(2) सुपात्र संस्थाओं का चयन उपाध्यक्ष के स्तर पर अन्तिम रूप से किया जायेगा ।

विषाय संख्या: 18 पृष्ठ संख्या: 40

विषाय: प्राधिकरण के वार्षिक लेखा एवं
बैलेन्स शीट वर्ष 1983-84 का सम्परीक्षण ।
=======

मे0 बी0सी0जैन ऐण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म व्दारा उपर्युक्त लेखो तथा बैलेन्स शीट तैयार कराई जा चुकी है । इनका सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद व्दारा कराया जाना है जिसके उपरान्त वार्षिक लेखो अन्तिम रूप से प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने एवं शासन को भेजने का प्राविधान है ।

प्राधिकरण के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है ।

विषय :- उद्यान विभाग हेतु एक ट्रैक्टर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में

इस वर्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं की सड़कों पर ट्री गार्डस एवं ग्रीन बेल्ट में लगभग 50,000 पौधों का रोपण किया गया है। इसी प्रकार गतवर्ष भी पौधों का रोपण किया गया था किन्तु उनकी सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण काफी पौधे सूख गये थे। सड़कों के किनारे व ग्रीन बेल्टस में स्टेन्ड पोस्ट्स न होने के कारण कर्मचारियों द्वारा सिंचाई सम्भव नहीं हो पा रही है। पौधों की समुचित सिंचाई हेतु ट्रैक्टर व टैंकर से लखनऊ के हर क्षेत्र में पानी पहुँचाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नये पार्कों के विकास हेतु ट्रैक्टर से जुताई व गुड़ाई किया जाना परमावश्यक है क्योंकि मालियों द्वारा यह कार्य समुचित रूप से नहीं हो पायेगा व काफी धनराशि भी व्यय करनी पड़ेगी।

उद्यान विभाग के पास एक पुराना ट्रैक्टर है जो काफी जीर्ण अवस्था में है। यह ट्रैक्टर प्राधिकरण कीसमस्त योजनाओं में पार्कों एवं सड़कों के किनारे व ग्रीन बेल्ट में लगाये गये पेड़ों की सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने एवं नये पार्कों के विकास हेतु पर्याप्त नहीं है और ट्री गार्डस व कांटेदार तार पर व्यय किये गये लाखों रूपयों का कोई उपयोग नहीं रह जाता है।

अत: सिंचाई की समुचित व्यवस्था हेतु प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में यू0पी0 स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन से एक ट्रैक्टर क्रय किये जाने हेतु रू0 89,483-93 (रू0 नवासी हजार चार तौतिरासी पैसे तिरानवे) मात्र की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

प्रस्ताव विकास प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्या: 20 पृष्ठ संख्या: 42

विषय :- दस्तावेजों एवं मानचित्रों का निरीक्षण करने या उनकी प्रतिलिपिया प्राप्त करने हेतु ली जाने वाल फीस के संबध में विनियमावली का अनुमोदन:

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-56 की उपधारा - 2 के खण्ड (ज) के अधीन दस्तावेजों एवं मान-चित्रों का निरीक्षण करने या उनकी प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने के लिए ली जाने वाली फीस के सम्बन्ध में कोई नियमावली न होने के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतएव उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन (अधिनियम 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973 की धारा की उपधारा - 2 के खण्ड - (ज) के अधीन विनियमावली का प्रारूप तैयार किया गया है जो अनुलग्नक "क" पर प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। यह उपरोक्त अधिनियम की धारा - 56 की उपधारा - 1 के अधीन राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन के पश्चात् गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुन:) अधिनियम) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 (द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति - अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा, प्राधिकरण के दस्तावेज़ों और मानचित्रों का निरीक्षण करने या उनकी प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली फीस के सम्बन्ध में, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के पश्चात् निम्नलिखित विनियमावली बनायी जाती है:

लखनऊ विकास प्राधिकरण (दस्तावेज़ों और मानचित्रों का निरीक्षण या प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने की फीस)

विनियमावली, 1986

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: 1- (1) यह विनियमावली लखनऊ विकास प्राधिकरण (दस्तावेज़ों और मानचित्रों का निरीक्षण या प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने की फीस) विनियमावली, 1986 कही जायगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

लागू होना (3) यह लखनऊ विकास क्षेत्र पर लागू होगी।

2- यदि कोई व्यक्ति विकास प्राधिकरण के या उसके कब्ज़े में किसी अभिलेख या दस्तावेज़ का निरीक्षण करना या किसी अभिलेख या दस्तावेज़ की कोई प्रतिलिपि प्राप्त करना या उससे उद्धरण लेना चाहे तो वह सचिव को और जहां कोई अन्य व्यक्ति उसके लिये नामित या प्राधिकृत हो, वहां उक्त व्यक्ति को लिखित आवेदन-पत्र देगा जिसमें उक्त अभिलेखों या दस्तावेज़ों का विवरण स्पष्ट रूप से दिया जायगा।

क्रमश:...

अनुज्ञा 3- जैसा इस विनियमावली में अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय सचिव या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की लिखित अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को विकास प्राधिकरण के या उसके कब्जे में, किसी अभिलेख या दस्तावेज़ की प्रतिलिपि दी जायगी या उससे उद्धरण दिया जायगा और किसी ऐसे अभिलेख या दस्तावेज़ का निरीक्षण करने दिया जायगा।

अनुज्ञा कब नहीं दी जायगी: 4- विकास प्राधिकरण और सरकार या सरकार में किसी अधिकारी के बीच किसी पत्र-व्यवहार का या किसी ऐसे मामले में जहां सचिव का विचार हो कि उसके प्रकटीकरण से लोक-हित को हानि होगी, निरीक्षण करने की अनुज्ञा नहीं दी जायगी।

उद्धरण का न दिया जाना: 5- किसी दस्तावेज से ऐसा कोई उद्धरण नहीं दिया जायगा जिससे पत्रावली के शेष भाग से उसे अलग करके पढ़ने पर, विकास प्राधिकरण या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या विकास प्राधिकरण के सचिव या किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये अन्तिम आदेश का मिथ्या निरूपण हो।

फीस 6- निम्न प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित फीस ली जायगी:-

(1) किसी दस्तावेज़ या कार्यवृत्त -पुस्तक से भिन्न अभिलेख या कर निर्धारण सूची का निरीक्षण करने के लिए —

(क) प्रथम घंटे या एक घंटे के किसी भाग के लिए : 5 रू0 50 पैसा

(ख) प्रत्येक पश्चातवर्ती घंटा या उसके भाग के लिए : 2 रू0

(2) किसी दस्तावेज़ को ढूँढ निकालने या पता लगाने के प्रयोजनार्थ किसी अनुक्रमाणी को रजिस्टर का निरीक्षण करने के लिए ----

प्रत्येक वर्ष की खोज के लिए: 5 रू0 50 पैसा

(3) विकास की अनुज्ञा के रजिस्टर का निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक अनुज्ञा के संबंध में : 5 रू0 50 पैसा

क्रमशः ग्यारह

(4) वास्तुकला विद् इत्यादि के लाइसेंस रजिस्टर का निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक लाइसेंस के संबंध में : 5 रू0 50 पैसा

(5) (एक) किसी साधारण याचिका की प्रतिलिपि के लिए या किसी दस्तावेज़ या कार्यालय अभिलेख से उद्धरण लेने के लिए ------

(क) प्रथम दो सौ शब्द या इससे कम के लिये : 3 रू0 50 पैसा

(ख) प्रति एक सौ अतिरिक्त शब्द या उसके भाग के लिए : 2 रू0

(दो) यदि प्रतिलिपि की अपेक्षा आत्ययिक रूप से (अर्जेन्टली) की जाय : उपर्युक्त (एक) के प्रभार का दो गुना

(तीन) यदि मूल प्रति सारणीबद्ध रूप में हो

(6) नक़्शों के लिए

(एक) ऐसे नक़्शे की प्रतिलिपि के लिए जिसका अनुरेखण निम्नलिखित पर तैयार किया जाना हो——

(क) केरो पेपर पर : प्रथम प्रतिलिपि के लिए 5 रूपये प्रति वर्ग फुट केरो पेपर या उसके भाग की दर पर और प्रत्येक अतिरिक्त प्रति-लिपि के लिए 2.75 रूपये प्रति वर्ग फुट या उसके भाग की दर पर।

(ख) ओजालिड पेपर पर: प्रथम प्रतिलिपि के लिए 5 रूपये प्रतिवर्ग फुट ओजालिड पेपर या उसके भाग की दर पर और प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिलिपि के लिए 2 रूपया प्रति वर्ग फुट या उसके भाग की दर पर

क्रमशः...

(दो) ऐसे नक्शों की प्रतिलिपि के लिए जिसके निम्नलिखित पेपर या अनुरेखण प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध हो :----

(क) केरो पेपर : 1.75 रुपये प्रति वर्ग फुट केरो पेपर या उसके भाग की दर पर।

(ख) ओजालिड पेपर पर : 2.30 रुपये प्रति वर्गफुट ओजालिड पेपर या उसके भाग की दर पर।

टिप्पणी :- यदि कोई आवेदक, नक्शों की प्रतिलिपियों की आत्ययिक रूप से (अर्जेन्टली) चाहता है तो उसे सूचीबद्ध प्रतिलिपि के लिये प्रभारों और प्रभारों के अतिरिक्त, उपर्युक्त खण्ड (एक) की स्थिति में 5.00 रुपया प्रति नक्शा और उपर्युक्त खण्ड (2) की स्थिति में 2.00 रुपया प्रति नक्शा की अतिरिक्त फीस ली जायगी।

-36

समुन्नति प्रभार : 7- (1) अधिनियम की धारा /की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष के विनिश्चय की प्रतिलिपि के लिए निम्नलिखित फीस ली जायगी, अर्थात्:-

(एक)- प्रथम 200 शब्द या इसतेकम के लिए : रुपये 3.50 पैसा

(दो)- प्रत्येक अतिरिक्त 100 शब्द या उसके भाग के लिए: रुपये- 2.00 पैसा.

(तीन)-यदि प्रतिलिपि की अपेक्षा अत्यधिक रूप से (अर्जेंटली) की जाय तो उपर्युक्त दरों का दो गुना।

(2) जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा समुन्नति से संबंधित किसी कार्यवाही के किसी अभिलेख का निरीक्षण करने की अनुज्ञा दे दी जाय, तब निरीक्षण करने की फीस निम्नलिखित होगी:-

(एक)- प्रथम घंटे के लिए : 5.00 रुपये

(दो)- पश्चात्वर्ती घंटों के लिए : 3.00 रुपये प्रति घंटा

क्रमशः....

8– (1) ऐसे आवेदन-पत्रों पर दिये गये आदेशों को जिनमें प्रतिलिपि की अत्यधिक रूप से अपेक्षा की जाये, दिये गये आदेशों को साधारणतया परिदत्त किये जाने वाले आवेदन-पत्रों पर दिये गये आदेशों की अपेक्षा, प्राथमिकता दी जायगी। अत्यावश्यक (अर्जेन्ट) आवेदन-पत्रों पर दिये गये आदेशों और साधारण आवेदन-पत्रों पर दिये गये आदेशों को सम्बद्ध पत्रों में पृथक्-पृथक् आदेश के दिनांक और उसकी क्रम संख्या के अनुसार सुनिश्चित रूप से प्राथमिकता दी जाएगी।

(2) ऐसी प्रतिलिपि जिसके लिए किसी अत्यावश्यक आवेदन-पत्र पर आदेश दिया गया हो, नियमानुसार, जिस दिन आदेश दिया गया हो, विलम्बतम उसके पश्चात् ठीक अगले कार्य दिवस तक परिदत्त कर दी जायगी।

9– कोई व्यक्ति जिसे अभिलेख निरीक्षण करने का हक प्राप्त है, अभिलेख में लिखित किसी तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु अथवा तलाश करने हेतु, प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्र एल0डी0ए0 फार्म – I में दे सकता है। ऐसे प्रार्थना-पत्र से संबंधित अभिलेखों का सम्पूर्ण विवरण व जिस तथ्य की जानकारी करना चाहता है, उसका उल्लेख किया जायेगा। यदि संबंधित व्यक्ति का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तो प्रार्थी को निरीक्षण हेतु निर्धारित रीति से रिकार्ड कीपर लिखित सूचना दे देगा और दी गई सूचना की प्रतिलिपि पत्रावली में संलग्न कर देगा। ऐसी तलाश का शुल्क निरीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क का दो गुना होगा और जानकारी करने के हर प्रश्न का शुल्क रूपये 2.00 पैसे देना होगा। जानकारी करने के प्रार्थना-पत्र संलग्न फार्म में होगा।

आज्ञा से,

सचिव,
विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र का फार्म

प्रार्थी अभिलेखागार में दाखिल की गयी पत्रावली से निम्न सूचना जानना चाहता है:-

प्रश्न	उत्तर

हस्ताक्षर :..... हस्ताक्षर : रिकार्ड-कीपर....

प्रार्थी या उसके वैधानिक रूप से अधिकृत प्रतिनिधि

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण में यू0पी0एस0ई0बी0 के चेयरमैन या उनके द्वारा नामित सदस्य को प्राधिकरण का सदस्य बनाने का प्रस्ताव ।

=x=x=x=x=x=

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित भवनों में विद्युत आपूर्ति की समस्या के निदान हेतु उत्तर प्रदेश राज्य-विद्युत परिषाद के अधिकारियों से निरन्तर पत्राचार करना पड़ता है जिसकी वजह से इन समस्याओं का सामयिक निदान सम्भव नहीं हो पाता है । इन समस्याओं के निदान हेतु प्रस्ताव यह है कि प्राधिकरण के सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषाद के चेयर मैन या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि को सदस्य बना लिया जाये ताकि प्राधिकरण की बैठकों में ही ऐसी समस्याओं का निदान किया जा सके । इस कार्यवाही से प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषाद का जो अनावश्यक लम्बा पत्राचार करना पड़ता है उससे दोनों ही विभाग बच जायेंगे ।

अत: प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषाद के चेयर मैन या उनके प्रतिनिधि को लखनऊ विकास प्राधिकरण का सदस्य बना लिया जाये ।

विषय: यू0पी0अर्बन डेवलपमेन्ट एवं वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के अन्तर्गत रू0 697.46 लाख का ऋण प्राप्त करने एवं तद्नुसार सेक्टर "आई" में प्रस्तावित विकास कार्य किये जाने के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यू0पी0अर्बन डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत लो कास्ट हाउसिंग की एक योजना बनायी गई है । इस योजना के अनुमोदन, वित्तीय सहायता इन्टर नेशनल डेवलपमेन्ट ऐसोसियेशन द्वारा की जायेगी । सम्पूर्ण योजना की धनराशि रू0 697.46 लाख है ।

उपरोक्त योजना कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर "आई" में कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसमें कि इस सेक्टर के पास सेक्टर जे, के एवं एच के वाह्य विकास कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पहले से किया जा रहा है ।

अत: विश्व बैंक परियोजना के इस सेक्टर "आई" के वाह्य विकास के प्राविधानों का लाभ मिलेगा । योजना का सच्चिप्त विवरण निम्न रूप से प्रस्तावित किया गया है:-

1-	योजना का कुल क्षेत्रफल	31.93 हैक्टेयर
2-	प्रस्तावित भवन/भूखाण्ड की संख्या	1604
3-	दुर्बल आय वर्ग के भवनों की संख्या	752
4-	अल्प आय वर्ग के भूखण्डों की संख्या	357
5-	मध्यम आय वर्ग के भूखाण्डों की संख्या	251
6-	उच्च आय वर्ग के भूखाण्डों की संख्या	248
7-	कुल योजना की लागत	रू0 697.64 लाख
8-	योजना अवधि	1986 से 1989-90 तक (4 वर्ष)
9-	भूमि की कीमत	रू0 97.70 लाख
10-	सिविल कार्य की कीमत	रू0 599.76 लाख
11-	वर्ष 1986-87 में ऋण की धनराशि जो प्राप्त की जानी है	रू0 111.42 लाख

योजना में पार्क, कम्युनिटी फैसलिटी जैसे- प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, हेल्थ सेन्टर, कम्युनिटी सेन्टर, पोस्ट आफिस इत्यादि की व्यवस्था के साथ-साथ व्यवसायिक सेन्टर एवं दुकानों के बनाने का भी प्राविधान किया गया है ।

अत: यू0पी0अर्बन डेवलपमेन्ट एवं वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के अन्तर्गत उक्त धनराशि (रू0 697.46 लाख) के ऋण प्राप्त करने एवं तद्नुसार सेक्टर "आई" में प्रस्तावित विकास कार्य करने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है ।

विषय :- अलीगंज योजना के ट्रंक सीवर निर्माण के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक में रख जाने वाले प्रस्ताव के के सम्बन्ध में आख्या

अलीगंज विस्तार योजना में विगत वर्षों में ब्रॉच सीवर का निर्माण किया जा चुका है परन्तु ट्रंक सीवर के निर्माण न होने के कारण ब्रॉच सीवर के निस्तारण हेतु सोकपिटों का निर्माण किया गया। पिछले 3 से 8 वर्षों से सोकपिट के प्रयोग होते रहने से अधिकांश सोकपिट की क्षमता समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण अब सीवेज वाटर का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तथा सीवर ओवर फ्लो कर रहे है, जिससे प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। निवासियों को राहत देने के लिए अस्थाई पम्पों के माध्यम से सीवेज : जल का निस्तारण किया जा रहा है, जो कि समुचित एवं उचित व्यवस्था नहीं है।

अलीगंज विस्तार में ट्रंक सीवर डालने की योजना वर्ष 1982-83 में तैयार की गई थी, जिसके संदर्भ में प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया गया था कि अलीगंज ट्रंक सीवर योजना की जॉच जल निगम से करा लिया जाये। जिसके क्रम में ट्रंक सीवर योजना जल निगम को जॉच हेतु वर्ष 1983-84 में प्रेषित की गई। जल निगम ने योजना की जॉच कर योजना में संशोधन हेतु आपत्तियॉ भेजी, जिसके पश्चात् वर्ष 1985-86 तक योजना संशोधित कर, जल निगम को पुन: प्रेषित की जाती रही तथा जल निगम के "आवजरवेशन" प्राप्त होते रहे।

दिनांक 10. 10. 1986 को इस संदर्भ में एक बैठक प्रबन्ध निदेशक, जल निगम की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें हुए विचार-विमर्श के अनुरूप योजना संशोधित की जा रही है। पूर्व में जल निगम द्वारा आंशिक रूप से आपत्तियॉ की जाती रही है। कभी भी योजना पर एक बार में पूर्ण आपत्तियॉ अंकित नहीं की गई। अन्तिम बार दिनांक 5. 7. 1986 को जल निगम को प्रेषित योजना जल निगम के डिजाइन, क्राइटेरिया, पर रू0 2.49 करोड़ की तैयार की गई थी। उपरोक्त क्राइटेरिया को जल निगम ने

क्रमश:-

महानगर सीवर योजना 1983 में प्रयोग किया था परन्तु इस योजना हेतु प्राप्त आवज़रवेशन में डिज़ाइन क्राइटेरिया में परिवर्तन किया गया है, साथ ही योजना में कुछ विवरण अधूरे थे, जैसे :- पोस्ट मानसून, वाटर लेबिल, राइजिंग मेन, मौजूदा सीवर का विवरण, सीवेज फार्म लोकेशन इत्यादि।

उपरोक्त क्रम में ही योजना संशोधित की जा रही है। जिसमें मौजूदा आन्तरिक सीवर के विवरण देना आवश्यक नहीं है, केवल आखिरी सीवर के विवरण देना आवश्यक होगा। अब तैयार की जा रही योजना जल निगम की समस्त आपत्तियों एवं आवजरवेशन के निराकरण कर, विभाग के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा तैयार की जा रही है, जिसपर पूर्ण रूप से एक जल निगम के सहायक अभियन्ता कार्यरत् हैं। पिछले तीन वर्षों से इस सीवर योजना में संशोधन किये जाते रहें हैं एवं जल निगम द्वारा जॉच की जाती रही है। इस बीच प्रोजेक्ट की कीमत में लगभग 30 प्रतिशत (तीस प्रशित) की वृद्धि हो गई है, और इस विलम्ब के कारण जल सुविधा, निवासियों को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।

अतः जन सुविधा एवं बढ़ती हुई लागत को देखते हुए, अब तैयार की गई योजना जिसमें जल निगम के समस्त आवज़रवेशन का समायोजन कर लिया गया है, के अनुरूप निर्माण की स्वीकृति का विषय प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव:-

गोमती नदी तथा गोमती नगर योजना के बीच के क्षेत्र का जोनल प्लान तथा इस क्षेत्र के विकास कार्यों को स्वीकृत के सम्बन्ध में ।

गोमती नदी के पूरब तथा फैजाबाद रोड (इंदिरा नगर) के दक्षिण में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना का विकास किया है। इस क्षेत्र में कुछ क्षेत्र (गोमती नदी पर बने बैराज से विश्वास व विजय खण्ड के बीच की भूमि) नीची होने के कारण गोमती नगर योजना प्रस्तावित करते समय हरित पट्टि के रूप में छोड़ दी गई थी यह भूमि लगभग 800 एकड़ है जो कि विशाल खण्ड के दक्षिण में काफी दूर तक फैली है । इस भूमि का कुछ भाग लगभग 100 एकड़ क्षेत्र पर पूर्व में वृक्षारोपण हो गया है । बाँकी क्षेत्र पर अभी कोई कार्य नही किया गया है । इस सम्पूर्ण क्षेत्र में कुछ भाग (अपट्रान फैक्टी के पास) लगभग 100 एकड़ महापालिका का है और कुछ भाग पर अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है । लखनऊ नगर में हो रहे अनाधिकृत निर्माणो को देखते हुए इस क्षेत्र में भी अनाधिकृत निर्माण को भी नकारा नही जा सकता और यदि इस क्षेत्र का विकास नही किया जाता है तो विभिन्न स्थानो पर लोग अनाधिकृत रूप से बस जायेगे । चूँकि क्षेत्र काफी बड़ा है । अत: किसी संस्था द्वारा अनाधिकृत कब्जे का पूर्ण रूप से रोकना सम्भव नही होगा । इसके साथ-साथ यह भी स्पष्ट है कि यह क्षेत्र पुराने लखनऊ तथा नये लखनऊ के बीच में स्थित है यदि इस क्षेत्र को नगर को स्तर की सामुदायिक सुविधा के रूप में विकसित किया जाय तो एक तो इस क्षेत्र का विकास हो जायेगा तथा दूसरे लखनऊ के बीच में नगरीय स्तर की जन सुविधाये भी उपलब्ध हो जायेगी । इस विन्दु को दृष्टिगत करते हुए इस क्षेत्र हेतु एक जोनल प्लान तैयार किया गया है । जोनल प्लान बनाते समय यह उद्देश्य सम्मुख रखा गया गया है कि क्षेत्र का वातावरण खुला तथा पार्क व हरित पट्टि के रूप में रहे । कुछ क्षेत्र ऐसी उपयोगो हेतु आरक्षित कर दिये गये है जिनसे प्राप्त आमदनी से इस क्षेत्र का पूर्ण विकास किया जा सके ।

क्रमश:.....2

निम्न भू उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं ।

1- आवासीय ।

2- व्यवसायिक, कार्यालय तथा सांस्कृतिक उपयोग ।

3- मनोरंजन व सांस्कृतिक उपयोग ।

4- व्यवसायिक कार्यालय तथा आवासीय उपयोग ।

5- लाइट एवं नान आबनाकशियस उद्योग ।

6- हरित पट्टिका ।

गोमती नगर के विशाल तथा विश्वास खण्ड के पास व्यवसायिक तथा आवासीय क्षेत्रों में अधिक एफ॰ए॰आर॰ प्रस्तावित किया गया है जब कि बाँकी क्षेत्र में काफी कम रखा गया है ताकि इस क्षेत्र का सम्पूर्ण दृश्य हरित पट्टिका के रूप में दर्शित हो ।

विकास कार्य :-

इस क्षेत्र को विकसित करने से पूर्व निम्न विकास कार्य आवश्यक है जो कि विभिन्न विभागो से सम्बन्धित है :-

1- कुकरैल नाले को गोमती नदी में मिलान तथा वहाँ पर पुल का निर्माण ।

2- बैराज से दिलकुशा तक पूर्व में निर्मित 7 मीटर चौड़े बन्धे को 30 मीटर चौड़ा करना और उस पर सड़क का निर्माण करना ।

3- पूरे क्षेत्र का ड्रेनेज प्लान तैयार करना तथा गोमती नदी एवं कुकरैल नाले के मिलान विन्दु पर पम्पिंग स्टेशन का निर्माण ।

4- सम्पूर्ण क्षेत्र के अन्दर सड़को, बिजली, पानी, सीवर तथा ड्रेनेज इत्यादि का विकास व निर्माण ।

5- लामार्टीनियर कालेज के सामने गोमती नदी पर पुल का निर्माण तथा पुल से विशाल खण्ड तक रिंग रोड का निर्माण ।

उपरोक्त कार्यों में लामार्टीनियर कालेज के सामने प्रस्तावित पुल के निर्माण हेतु धन इस वर्ष सा0नि0वि0 को स्वीकृत हो गया है । पुल तथा कुछ भाग पर रिंग रोड के निर्माण का कार्य सा0नि0वि0 द्वारा करना होगा । शासन आदेश संख्या:पो॰ एस॰/444/न0वि0सं/1986 दिनाँक: 29 अक्टूबर 1986 द्वारा यह निदेश दिया गया है कि कुकरैल नाले को गोमती नदी में मिलाने

.....3

तथा वहाँ पर पुल का निर्माण, बंधे को चौडा करना तथा इस क्षेत्र के ड्रेनेज इत्यादि के कार्य विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से करा ले ताकि इस क्षेत्र का विकास शीघ्रअतिशीघ्र किया जा सके ।

इस क्षेत्र से होने वाली आमदनी व व्यय का विवरण संलग्न हैं । सम्पूर्ण विकास कार्य 3 वर्षों में पूर्ण करने का प्रस्ताव है ।

उपरोक्त के संदर्भ में निम्न प्रस्ताव स्वीकृत हेतु प्रस्तुत है :-

1- जोनल प्लान के सम्बन्ध में स्वीकृत ।

2- कुकरैल नाले को गोमती नदी में मिलाने तथा वहाँ पर पुल का निर्माण इत्यादि पर होने वाले व्यय रूपया=1.500 करोड़ सिंचाई विभाग को देने को स्वीकृत ताकि ये कार्य इनके द्वारा कराये जा सके ।

3- बैराज से दिलकुशा तक बंधे को 7मीटर के स्थान पर 30मीटर चौड़ा करने हेतु रूपया= 1.00करोड़ की स्वीकृत ।

4- क्षेत्र के ड्रेनेज प्लान बनाने तथा ड्रेनेज के निर्माण व पम्पिंग स्टेशन हेतुलगभग रूपया= 6.00 करोड़ जल निगम को दिये जाने को स्वीकृत ।

5- इस क्षेत्र से जो भी आमदनी प्राधिकरण को होगी वह सम्पूर्ण धनराशि इस क्षेत्र के विकास कार्य में व्ययय किया जायेगा ।

—— x ——

आर. एन.

अखंड प्रताप सिंह,
आई. ए. एस.
सचिव ।

अ0शा0प0सं:पी. एस./444/न. वि. सं/1986

आवास एवं नगर विकास ,
उ0प्र0 शासन ।

उत्तर प्रदेश सरकार

दिनाँक:लखनऊ, अक्टूबर 29, 1986

प्रिय गोविन्दन,

गोमती नगर में कुकरैल नाले को डाइवर्ट करने उस पर पुल बनाने और बन्धे को पक्का करने का कार्य शासन के निर्णय के हिसाब से विकास प्राधिकरण को अपने श्रोतो से करना है । इस हेतु सिंचाई विभाग उनके एजेन्ट के रूप में उपलब्ध रहेगे । कृपया तद्नुसार गोमतो नगर के कुकरैल तथा अन्य श्रोतो से प्रभावित निजो क्षेत्र के बिषय में एक प्रोजेक्ट बना लिया जाय जिससे कि इस भू-खण्ड से प्राप्त आय से सम्पूर्ण योजना का वित्त पोषण हो सके ।

दिनाँक: 29 अक्टूबर 1986 को इस सम्बन्ध में योजना का प्रारूप तय कर लिया जाय और पूरी योजना विकास प्राधिकरण को अगलो बैठक में अनुमोदित कर ली, जाय, उसके अतिरिक्त उस क्षेत्र में ड्रेनेज और पम्पिंग स्टेशन बनाने का भी योजना द्वारा वहन करना होगा और बन्धे चौड़ा करने को योजना भी विकास प्राधिकरण को ही पूरी करनी होगी ।

सादर

भवदीय,
ह0- अखण्ड प्रताप सिंह
(अखण्ड प्रताप सिंह)

श्री गोविन्दन नायर,
उपाध्यक्ष ।
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

—0—

आर. एन./

Residential/ Commercial/ Cultural Project in Gomtinagar Scheme :

Statement I Area Chart

1. Total area under scheme - 700 acres

2. Details of saleable area :

Particulars	Total Area	Saleable area	
		%	Area (Acres)
a) Residential	100 Acres	60%	60.00
b) Commercial-cum-office (Ist block)	100 Acres	35%	35.00
c) Cultural	100 Acres	30%	30.00
d) Office-cum-Commercial (2nd block)	150 Acres	60%	90.00
e) Recreational/ Cultural	116 Acres	20%	23.20
	566 Acres		238.20

3. Open Space (Unsaleable) ---------- 134 acres

.....2

Statement II Project Cost

A. Acquisition Cost
for 450 acres (700 acres- 250 acres) @ Rs. 20/- per Sqm. — Rs. 364.22 Lacs

B. Development Cost :

(1) Total area	450 Acres	
(2) Recreational/Cultural	116 Acres	
	566 Acres	

(3) Cost of development	Rs. in Lacs
(a) 450 Acres @ Rs. 3.50 lacs per Acre	1575.00
(b) 116 Acre @ Rs. 2.00 Lacs per Acre	232.00
	1807.00
(c) Escalation for 3 years as per calculation given below	180.70
(d) Administrative & General Charges @ 10%	198.77
	2186.47
(e) Provision for maintenence & unforseen expenses @ 5%	109.32
	2295.79

(f) Other development items :

(i) Diversion of Kukrail	150.00	
(ii) Widening of Bund	100.00	
(iii) Drainage	600.00	850.00
		3145.79
Total Cost (A + B)		3510.01
		Say Rs. 3510 Lacs

.....3

Working of Escalation :

Total development Cost Rs. 1807 Lacs

	Rs. in. Lacs	
(a) Escalation on 30% Cost @ 5% (for Ist Year)	27.11	
(b) Escalation on 40% Cost (for IInd Year) @ 10%	72.28	
(c) Escalation on 30% Cost (for IIIrd Year) @ 15%	81.31	Rs. 180.70

Note :

(a) The acquisition cost ofor 450 acres has only been taken into account due to the fact that 250 acres land was, accounted for as 'Unsaleable' in costing of phase I of Gomtinagar Scheme.

(b) The cost of development for the area of 'Recreational/ Cultural (116 acres) has been taken @ Rs.2.00 Lacs per acre as complete development would not be required.

Statement III- Showing income

S.No.	Particulars	Area (in Acre)	Rate (per Sqm.)	Amount (Rs. in Lacs)
1.	Residential	60	300	728.43
2.	Commercial-cum-Offices(Ist block)	35	500	708.20
3.	Cultural	30	150	182.10
4.	Offices-cum-Commercial (2nd block)	90	500	1821.08
5.	Recreational/ Cultural (20% of 116 Acre)	23.20	150	140.83
				3580.64

Statement IV- Showing Profitability

(i)	Total income (as per Statement III)	3580.64
(ii)	Total Expenditure(as per Statement-II)	3510.00
(iii)	Surplus	70.64
(iv)	Percentage of Surplus	2%

बिषय:- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय कालोनियो के भवनो में दूकान चलाने की अनुमति ।

प्रस्ताव:-

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नगर के आस-पास कई महत्वपूर्ण कालोनी विकसित की है। कालोनी के विन्यास मानचित्र तैयार करते समय आवासीय उपयोग के साथ-साथ व्यवसायिक तथा जन सुविधाओ हेतु विभिन्न उपयुक्त स्थानो पर भूखण्ड प्रस्तावित किये गये है। जहाँ तक व्यवसायिक क्रियाओ का प्रश्न है, इस हेतु प्रत्येक सेक्टरो में शॉपिंग सेन्टर प्रस्तावित किया जाता है और उसके साथ-साथ अन्य स्थानों पर छोटी-छोटी दूकानें प्रस्तावित की जाती है। जो कालोनियाँ अब तक विकसित हुई है उनमें मुख्यत: महानगर, निरालानगर तथा अलीगंज है। यह देखा गया है कि सड़को के किनारे जगह-जगह पर अनधिकृत रूप से दूकानें बन जाती है और ये दूकानें चलती भी है। इससे ज्ञात होता है कि कालोनी के अन्दर काफी दूकानों की आवश्यकता है। अनेक मकानों में भी लोगों ने एक-एक कमरे में दूकानें खोल रखी है, इसके दो पहलू हो सकते है ।

यह कि क्षेत्र में दूकानों की आवश्यकता है, इसी कारण घरों मे खोली गई दूकानें चलती है। दूसरे, लोगो की आर्थिक स्थिति ऐसी है जिससे वाध्य होकर उन्हे अन्य व्यवसाय के साथ-साथ घरों में दूकानें चलाना पड़ता है। इस समस्या के वास्तविक पहलू को देखते हुए इस प्रकार की अनधिकृत रूप से जो दूकाने चलाई जा रही है उन्हे कुछ प्रतिबन्धो के साथ घरों में दूकानें खोलने हेतु अनुमति दे दी जाय। अन्यथा दूकानों के बन्द कराने व अनधिकृत कब्जे हटाने के लिए लगातार काफी प्रयास की आवश्यकता होगी जिसमें हो सकता है पूर्ण सफलता न मिल सके।

अत: प्रस्ताव है कि निम्न प्रतिबन्धो के साथ आवासीय क्षेत्र में दूकानों की अनुमति दे दी जाय जिसके फलस्वरूप एक तो काफी दूकानें लोगों को खरीदारी हेतु मिल जायेगी, दूसरे जो दूकाने अनधिकृत रूप से सड़कों इत्यादि तथा कालोनी के बीच में खुल गई है, उन पर नियंत्रण हो जायेगा ।दूकानों

क्रमश:.....2

की अनुमति निम्न आधार पर दी जातकती है :-

1- 200 वर्गमीटर व उससे छोटे आकार के भूखंड में निर्मित भवन में ही दूकानें खोली जा सकती है ।

2- दूकान एक कमरे से अधिक क्षेत्र में नहीं खोली जायेगी ।

3- दूकान का क्षेत्रफल अधिकतम 150 वर्गफीट होगा ।

4- मकान में छोड़े गये सेट बैक को किसी प्रकार से ढका नहीं जायेगा। दूकान केवल मकान के निर्मित भाग में होगी ।

5- प्राधिकरण को अधिकार होगा कि कभी भी एक महीने की नोटिस देकर दूकान बन्द कराई जा सकती है ।

6- जितने क्षेत्र में दूकान खोली जायेगी उतने क्षेत्र हेतु प्राधिकरण के प्रचलित भूखण्डो की दर का दो गुना धन प्राधिकरण में लेवी के रूप में जमा करना होगा ।

7- जिस व्यवसाय हेतु दूकान खोली जानी है उसका उल्लेख करना होगा और उसी के अनुरूप स्वीकृति लेनी होगी। यदि स्वीकृत व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय चलाया जाता है तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि स्वीकृति निरस्त कर दे।

निम्न व्यवसाय हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी :-

अ- भवन निर्माण से सम्बन्धित सामग्री जैसे-रेत, सीमेन्ट, मौरंग, चूना, सुर्खी, लोहा, ईटे, पत्थर तथा पेन्ट इत्यादि।

ब- चाय तथा अन्य खाने से सम्बन्धित दूकानें, ढाबे एवं रेस्टोरेन्ट इत्यादि।

स- साइकिल के अतिरिक्त वाहनों की मरम्मत से सम्बन्धित कार्य ।

द- अन्य प्रकार की दूकानें जिसके कारण शोर, प्रदूषण तथा अन्य जनजीवन पर कुप्रभाव डालने वाली क्रियायें जैसे-आटा-चक्की, एक्सपेलर, खराद की मशीन इत्यादि ।

उपरोक्त सभी शर्तो के सम्बन्ध में दूकान खोलने से पूर्व प्रार्थी को प्राधिकरण से अनुबन्ध करना होगा।

प्रस्ताव विचारार्थ स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हैं ।

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

आर. एन./

बिषय:- इन्द्रलोक कालोनी कानपुर रोड, लखनऊ की स्वीकृति के सम्बंध में ।

प्रस्ताव:-

लखनऊ कानपुर रोड पर इन्द्रलोक कालोनी का एक ले-आउट प्लान विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1980 में परमिट संख्या: 696-ख, दिनॉक: 29.2.80 को स्वीकृत हुआ था जिसमें निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगाये गये थे :-

(1) भूखण्ड धारक से सीवर का एग्रीमेन्ट कराने का उत्तरदायित्व कालोनाइजर का होगा ।

(2) भूखण्ड धारक को अपने स्वामित्व प्रमाण-पत्र का सर्टीफिकेट कालोनाइजर से लेना होगा ।

इन्द्रलोक कालोनी दिनॉक: 20.2.80 एवं दिनॉक: 8.4.81 को प्रशासक/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ के आदेश द्वारा नगर महापालिका को हस्तान्तरित कर दी गयी है । इन्द्रलोक कालोनी का ले-आउट प्लान स्वीकृत करते समय लखनऊ महायोजना में प्रस्तावित 150 फिट चौड़ी सड़क का ले-आउट प्लान पर समावेशन नहीं किया गया था । अत: इन्द्रलोक कालोनी में भवन मानचित्र स्वीकृत करने में कुछ तकनीकी तथा विधिक कठिनाईयॉं दृष्टिगत हुई तथा उसके पश्चात इन्द्रलोक कालोनी का एक निरीक्षण मुख्य नगर नियोजक एवं तत्कालीन नगर अभियन्ता-भवन द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि मास्टर प्लान रोड जिसकी चौड़ाई 150 फिट प्रस्तावित है उसका अब निर्माण होना सम्भव नही है क्योंकि स्थल पर बहुत कुछ मकान बन चुके हैं तथा इसी प्रस्तावित सड़क के एलाइनमेंट में एक पुरानी हाइडिल कालोनी भी पड़ती है । अत: मौके के निरीक्षण के बाद यह निर्णय लिया गया था कि मानचित्र में "ए" से "बी" तक की रोड की चौडाई 80 फिट ही रहने दी जाये जो कि मानचित्र में हरे रंग से दर्शित है तथा "सी", "बी", "डी" चिन्हित रोड को जिसे पीले रंग से दर्शाया गया है निरस्त कर दिया जाये । यह प्रस्ताव विकासप्राधिकरण की बैठक में 7 मई, 1986 बिषय संख्या: 5 श्री बी0एस0मित्तल के भवन चित्र

क्रमश:....2

भूखण्ड संख्या: एच-315 इन्द्रलोक कालोनी के सम्बन्ध में रखा गया था लेकिन इस प्रकरण पर जो निर्णय हुआ वह त्रुटिवश प्रस्ताव के विपरित हुआ जो निम्न है :-

"मेसर्स कृष्णा कालोनाइजर के स्वीकृत ले-आउट प्लान में पीले रंग से दर्शाई सड़क के नीचे 60 फिट चौड़ी सड़क को 80 फिट कर दिया जाये ।"

अत: 150 फिट की प्रस्तावित सड़क के नीचे की सड़क को अब 80 फुट किया जाना इस कारण सम्भव नहीं है कि इस सड़क की चौड़ाई को 60 फुट रखते हुए कुछ मानचित्र पूर्व में स्वीकृत हुए है । अत: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक: 7.5.1986 के निर्णय में निम्न संशोधन अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है ।

(1) महायोजना में प्रस्तावित 150 फिट चौड़ी रोड जो निरस्त की जा रही है उसका भू-उपयोग यातायात भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित किया जाये ।

(2) 150 फिट चौड़ी रोड के नीचे समान्तर चलने वाली 60 फिट रोड को 60 फिट ही रहने दिया जाये ।

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

विषय : आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा 90 वर्ष को लाज पर ली जाने वाली भूमि का प्री-पेड लीज-रेन्ट का वसूल किया जाना।

प्रस्ताव:

आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण द्वारा जो भूमि आबंटियों को दी जाती है उसकी अवधि 90 वर्ष के लिए होती है जो प्रत्येक 30 वर्ष के बाद लीज रेन्ट में 50 प्रतिशत की बृद्धि के साथ नवीनीकरण की जाती है जिसके सम्बन्ध में शासन ने लीजरेन्ट की वसूली एवं आबंटियों को होने वाली कठिनाईयों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया कि इन कठिनाईयों को दूर किया जाये और इस सम्बन्ध में शासन के आदेश संख्या: 6795/II-5-80-नि0/86, नगर विकास अनुभाग-5, दिनाँक 23 अक्टूबर, 1986 द्वारा लीजरेन्ट तथा लेवी चार्जेज के सम्बन्ध में जो निदेश प्राप्त हुए हैं वह लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं सूचनार्थ प्रस्तुत है।

=x=x=x=x=

संख्या: 6795/II-5-80-नि0/86

प्रेषक,

अखंड प्रताप सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2- निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- प्रशासक,
समस्त नगर महापालिका,
उत्तर प्रदेश।

4- आवास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांक: 23 अक्टूबर, 1986

विषय: आवास विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण द्वारा 90 वर्ष को लीज पर दी जाने वाली भूमि का प्रीपेड लीजरेन्ट वसूल किया जाना।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अभी आवास विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों को उनके द्वारा 90 वर्ष की लीज पर भूमि देने तथा हर 30 वर्ष के बाद लीजरेन्ट को 50 प्रतिशत बढ़ाने का अधिकार है परन्तु लीज की रकम इतनी कम है कि एक तो उसकी वसूली का खर्च निकालने में कठिनाई होती है दूसरे भूखंड स्वामियों को भी हर साल रकम जमा करने में असुविधा होती है, अतः शासन ने विचारोपरान्त भूखंडों को लीज पर दिये जाने की वर्तमान प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से कतपय संशोधन लागू किये जाने का निर्णय लिया है :

(1) यह कि भूमि का स्वत्व तो लीज होल्ड ही रखा जाये परन्तु मूल्य का 10 प्रतिशत आबंटित करते समय ही 90 साल के प्रीपेड लीजरेन्ट के रूप में ले लिया जाये ताकि 90 वर्ष तक उसे दूसरी कोई धनराशि जमा न

क्रमशः 2

करना पड़े। ऐसे आबंटी जिनको लीज अवधि में 60 वर्ष या कम की अवधि शेष रह गई हैं वे मूल्य का 7 प्रतिशत जमा करके यह सुविधा प्राप्त कर सकते है और ऐसे आबंटी जिनको लीज में 30 वर्ष या कम की अवधि रह गई है वे रजिस्टर्ड मूल्य का 5 प्रतिशत जमा कराकर यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

(2) यह कि सभी विकास प्राधिकरणों और आवास परिषदों द्वारा भूखंड के क्रेता को मकान बनाने के लिए 5 वर्ष का समय रजिस्ट्रेशन की तिथि से दिया जाये। इसके उपरान्त उसे 5 वर्ष का अतिरिक्त समय प्रति वर्ष मूल्य का 2 प्रतिशत सरचार्ज लेकर दे दिया जाये और 10 वर्ष बाद लीज को निरस्त कर दिया जाये।

(3) यह कि लीज होल्ड भूमि को बेचने की दशा में विकास प्राधिकरणों या आवास परिषद की भूमि के क्रय मूल्य और वर्तमान मूल्य के अन्तर का 40 प्रतिशत लाभांश देय होगा परन्तु यह शर्त तभी रहेगी जब भूखंड को खाली बेचा जाय। यदि भूखंड पर निमार्ण कर लिया गया है तो बेचे जाने की दशा में कोई लाभांश देय नहीं होगा। निमार्ण की परिभाषा में मध्यम व छोटे प्लाट में एक आवासीय भवन जिसमें एक कमरा, बाथरूम, शौचालय तथा रसोई पूरा काम्प्लेक्स हो उसे पूर्ण निमार्ण माना जायेगा। बड़े प्लाट में दो कमरा, बाथरूम, किचन काम्प्लेक्स को निमार्ण माना जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय,

(अखंड प्रताप सिंह)
सचिव।

संख्या: 6795(1)/11-5-86-तद्दिनांक

प्रतिलिपि नगर विकास सचिव, शाखा के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह0/-
(कुँवर फतेह बहादुर)
संयुक्त सचिव।

प्रदीप/-

विषय:- उ0प्र0राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 10, माल एवन्यू के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव :- महा प्रबन्धक, उ0प्र0राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या: 63285/नजारत/भवन/86-87, दिनांक: 18 अक्टूबर, 1986 में उ0प्र0राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 जिसका प्रधान कार्यालय 10-माल एवन्यू, लखनऊ में स्थित है । इसके सम्बन्ध में पत्र द्वारा यह सूचना दी है कि बैंक के इस परिसर में जो भवन है तथा इससे लगी हुई जमीन वर्ष 1967 में खरीदी थी और बैंक का कार्यालय भूखण्ड संख्या: 20 पर स्थित है तथा भूखण्ड संख्या: 21 गार्डेन लीज के अन्तर्गत है । दोनों भूखण्ड हैवलक रोड स्कीम के अन्तर्गत आते हैं । उपरोक्त पत्र में महा प्रबंधक ने उल्लेख किया है कि गत वर्षों में उ0प्र0राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 का व्यवसाय बहुत अधिक बढा है और वर्तमान कार्यालय में स्थान की कमी है अत: बैंक इस स्थान पर एक कार्यालय काम्पलेक्स बनाना चाहता है । भूखण्ड सं0: 21 गार्डेन लीज में और भूखण्ड सं0: 20 बिल्डिंग लीज के अन्तर्गत है तथा सम्पूर्ण क्षेत्र लखनऊ महायोजना के अन्तर्गत आवासीय भू-उपयोग में आते हैं । ऐसी दशा में यद्यपि अपने पत्र में भूखण्ड सं0: 21 का भू-उपयोग परिवर्तन हेतु अनुरोध किया है लेकिन चूँकि भूखण्ड सं0: 20 व 21 दोनों पर कार्यालय भू-उपयोग प्रस्तावित है । अत: ऐसी स्थिति में भूखण्ड संख्या: 20 का भी भू-उपयोग परिवर्तन होना अनिवार्य है जिसके सन्दर्भ में लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ हैवलक रोड स्कीम के भूखण्ड संख्या: 20 व 21 का भू-उपयोग आवासीय से कार्यालय निम्न लिखित प्रतिबन्धों के

क्रमश:————2

साथ बदलने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है :–

(1) भूखण्ड संख्या: 20 व 21 के सम्मिलित क्षेत्रफल पर वर्तमान भवन को सम्मिलित करते हुए महायोजना में कार्यालय भू–उपयोग हेतु प्रस्तावित उपविधियाँ (भू–आच्छादन एवं एफ0ए0आर0) मान्य होगीं ।

(2) नियमानुसार पार्किंग की व्यवस्था करानी होगी ।

(3) गार्डेन लॉज व बिल्डिंग लॉज के दोनों भूखण्डों को लॉज को परिवर्तित करके कार्यालय भू–उपयोग हेतु बहुखण्डीय भवन निर्माण हेतु कराना होगा ।

–x–x–x–x–x–

विषय:- लखनऊ महानगरी के विकास हेतु प्रस्तावित जनसंख्या, घनत्व, भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 से सम्बन्धित उपविधियाँ ।

प्रस्ताव :- उपरोक्त विषय से सम्बन्धित एक प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 7-5-86 के विषय संख्या: 23 में रखा गया था जिस पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया था कि प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाये । इसी क्रम में आवास अनुभाग-3 की शासनादेश संख्या: 2937/37-3-86/29एन0के0वी0/84, दिनांक: 23 अक्टूबर, 1986 के द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई है कि उपविधियों के प्रारूप को इस संशोधन के साथ स्वीकृत किये जाते हैं कि ग्रुप हाउसिंग के लिये जहाँ जहाँ तीन हजार वर्ग मीटर भूमि की व्यवस्था रखी गयी है उसे घटाकर दो हजार वर्ग मीटर कर दिया जाये ।

उपरोक्त शासनादेश में स्वीकृति प्राप्त होने से यह उपविधियाँ प्रभावी मानी जायेगी अत: प्राधिकरण के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है जिससे इनका कार्यान्वय किया जा सके ।

-x-x-x-x-x-

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 7-5-86 हेतु प्रस्तुत आख्या
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

विषय:- लखनऊ महानगरी के विकास हेतु प्रस्तावित जनसंख्या, घनत्व, भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 सम्बन्धी उपविधियाँ ।

विगत कुछ वर्षों से लखनऊ राजधानी का भौतिक विकास का एक कारण नगर का बदलता आर्थिक स्वरूप है । लखनऊ के आस-पास के क्षेत्रों में गत वर्षों में औद्योगिक विकास भी हुआ है तथा साथ ही साथ आवासीय कालोनियों का भी विकास हुआ जिसमें, इन्दिरा नगर, अलीगंज, तालकटोरा आवासीय कालोनियाँ, गोमती नगर तथा कानपुर रोड आवासीय योजनायें मुख्य हैं । लखनऊ महायोजना, जिसका सृजन वर्ष 1970 में हुआ था, 155.71 वर्गमील क्षेत्रफल पर प्रस्तावित है जिसमें नगर पालिका सीमा से बाहर के 124 ग्राम सम्मिलित हैं । कालान्तर में हुए भौतिक विकास के साथ जनसंख्या का जमाव नगर के भीतरी भागों में भी हुआ । वर्ष 1970 की महायोजना प्रस्तावों के आधार पर विकासशील क्षेत्र में जनसंख्या के जमाव को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से 100 व्यक्ति तथा 150 व्यक्ति प्रति एकड घनत्व प्रस्तावित किया गया था । गत दो दशकों में मानवीय आवश्यकताओं तथा जमीन की बढ़ती हुई कीमतों के कारण उच्च, मध्यम तथा दुर्बल आय वर्गीय लोगों हेतु परिकल्पित भवन/भूखण्डों का क्षेत्रफल धीरे-धीरे कम होता जा रहा है । दूसरी ओर भवनों के निर्माण की लागत भी बढ़ती जा रही है । लखनऊ महायोजना में जनसंख्या घनत्व के प्रस्तावों तथा आय के आधार पर निर्धारित भूखण्ड/भवनों के प्रकार में समन्वय स्थापित कर पाना प्रायः असम्भव सा हो गया है । अतः वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि महायोजना के जनसंख्या प्रस्तावों हेतु कोई ऐसी कारगर नीति निर्धारित की जाये जिससे नगरीय क्षेत्र व विकासशील क्षेत्र में भूमि का अधिकतम उपयोग हो सके ।

क्रमशः:----------2

लखनऊ महायोजना 5 प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट में विभाजित है जिनमें प्रत्येक प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक विशेषता है । महायोजना के प्रस्तावों के आधार पर नगर के सबसे घने बसे क्षेत्रों में अधिकतम जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति एकड़ तथा विकास शील क्षेत्रों में कम से कम 50 व्यक्ति प्रति एकड़ है ।

वर्तमान मानवीय आवश्यकताओं व विकास क्षेत्रों तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स के अधिकतम उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि महायोजना में जनसंख्या घनत्व, भू-आच्छादन तथा एफ०ए०आर० में परिवर्तन किया जाये जिसमें महायोजना प्रस्ताव अधिक व्यवहारिक तथा न्यायोचित हो सके ।

अतः लखनऊ महायोजना में जनसंख्या के घनत्व, भू-आच्छादन व एफ०ए०आर० सम्बन्धी प्रस्तावों में निम्न संशोधन प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

1- लखनऊ महायोजना के अन्तर्गत प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट "ए" को (संलग्न-मानचित्र के आधार पर) ए-1 तथा ए-2 में विभाजित किया गया है ।

प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट "ए" के सब डिस्ट्रिक्ट ए-1 हेतु प्रस्तावित आवासीय उपविधियाँ ।

1.1- महायोजना के प्रस्तावित सम्पूर्ण आवासीय भू-उपयोग हेतु 250 व्यक्ति प्रति एकड़ का घनत्व प्रस्तावित किया गया तथा प्लाटेड डेवलपमेन्ट हेतु अन्य उपविधियाँ महायोजना के प्रविधानों के आधार पर विकास प्रस्तावित कियागया है तथा तीन तलों तक के निर्माण को स्वीकृति प्रस्तावित की गयी है ।

1.2- ग्रुप हाउसिंग विकास हेतु 300 व्यक्ति प्रति एकड़ जनसंख्या का घनत्व प्रस्तावित किया जाये जिसमें 150 एफ०ए०आर० तथा 25 प्रतिशत भू-आच्छादन की स्वीकृति प्रस्तावितकी गयी है ।

ग्रुप हाउसिंग विकास हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल कम से कम 3000 वर्गमीटर रखा गया है तथा अन्य शर्तें लखनऊ विकास नियन्त्रित क्षेत्र हेतु बनाई गयी उपविधियाँ प्रस्तावित की गई हैं ।

क्रमशः————————3

प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट "ए" के सब डिस्ट्रिक्ट ए-2 हेतु प्रस्तावित आवासीय उपविधियाँ

1.3- महायोजना के प्रस्तावित सम्पूर्ण आवासीय भू-उपयोग हेतु 100 व्यक्ति प्रति एकड़ का घनत्व प्रस्तावित किया गया है तथा प्लाटेड डेवलपमेन्ट हेतु महायोजना के प्राविधानों के आधार पर विकास प्रस्तावित है तथा केवल तीन तलों तक के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की जाये ।

1.4- ग्रुप हाउसिंग विकास हेतु उपरोक्त जनसंख्या का घनत्व 125 व्यक्ति प्रति एकड़ के प्रतिबन्धों के साथ 100 एफ0ए0आर0 तथा 40% भू-आच्छादन सहित 3 तलों तक ही निर्माण को स्वीकृति दी जाये ।

2- व्यावसायिक व कार्यालय भू-उपयोगों हेतु उपविधियाँ :-

2.1- प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट "ए" के सब डिस्ट्रिक्ट ए-1 में प्रस्तावित व्यावसायिक व कार्यालय भू-उपयोगों हेतु 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 150 एफ0ए0आर0 तथा 35% भू-आच्छादन की स्वीकृति प्रस्तावित है ।

2.2- प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट "ए" के सब डिस्ट्रिक्ट ए-1 में प्रस्तावित व्यावसायिक व कार्यालय भू-उपयोगों हेतु 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 200 एफ0ए0आर0 तथा 35% भू-आच्छादन की स्वीकृति प्रस्तावित है ।

3- प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट बी, सी, डी तथा ई हेतु आवासीय विकास हेतु उपविधियाँ :-

3.1- लखनऊ महायोजना के अन्तर्गत प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट बी, सी, डी तथा ई में 250 व्यक्ति प्रति एकड़ का समरूप जनसंख्या का घनत्व प्रस्तावित किया गया है तथा प्लाटेड डेवलपमेन्ट हेतु महायोजना के प्राविधानों के आधार पर विकास प्रस्तावित है तथा केवल तीन तलों तक की ही निर्माण की स्वीकृति दी जाये ।

3.2 ग्रुप हाउसिंग विकास हेतु 300 व्यक्ति प्रति एकड़ जनसंख्या का घनत्व प्रस्तावित है तथा इसके अन्तर्गत निर्माण हेतु 150 एफ0 ए0आर0 तथा 25% भू-आच्छादन की स्वीकृति प्रदान की जाये ।

क्रमशः----------4

3.3- ग्रुप हाउसिंग विकास हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल कम से कम 3000 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है । ग्रुप हाउसिंग हेतु अन्य उपविधियाँ लखनऊ विकास नियन्त्रित क्षेत्र हेतु बनाई गई उपविधियों के अनुरूप होगी ।

4- <u>प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट बी, सी, डी तथा ई में व्यावसायिक व कार्यालय भू-उपयोग हेतु प्रस्तावित उपविधियाँ ।</u>

4.1- प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट बी, सी, डी तथा ई में व्यावसायिक व कार्यालय उपयोग के अन्तर्गत 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 250 एफ0ए0आर0 तथा 25% भू-आच्छादन की स्वीकृति दी जाये ।

4.2- प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट बी, सी, डी तथा ई में व्यावसायिक व कार्यालय उपयोग के अन्तर्गत 1000 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड हेतु 200 एफ0ए0आर0 तथा 35% भू-आच्छादन की स्वीकृति दी जाये ।

नोट:-

1- व्यावसायिक व कार्यालय भू-उपयोगों के अन्तर्गत बेसमेन्ट की स्वीकृति भू-आच्छादन के बराबर प्रदान की जा सकती है जिसकी एफ0ए0आर0 में गणना की जायेगी । यदि बेसमेन्ट केवल पार्किंग हेतु उपयोग किया जाता है तब इसकी गणना एफ0ए0आर0 में नहीं होगी । यह ढका पार्किंग भवन स्वामी द्वारा प्राधिकरण को व्यवस्था हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा ।

2- बहुखण्डीय भवनों के निर्माण हेतु अग्नि शमन कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

3- ग्रुप हाउसिंग हेतु अन्य उपविधियाँ लखनऊ महायोजना तथा लखनऊ महानगरों हेतु प्रस्तावित उपविधियों के आधार पर मान्य होगी ।

4- यदि रेजीडेन्सियल कालोनी 25 एकड़ तक क्षेत्रफल पर प्रस्तावित है तब इसमें 100 एफ0ए0आर0 तथा 40% भू-आच्छादन सहित

क्रमशः:----------5

3% क्षेत्रफल पर व्यावसायिक प्रयोजन हेतु भू-उपयोग स्वीकृत किया जा सकता है ।

5- यदि रेजीडेन्सियल कालोनी 25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल पर प्रस्तावित है तब इसमें 100 एफ०ए०आर० तथा 40% भू-आच्छादन सहित 2% क्षेत्रफल पर व्यावसायिक प्रयोजन हेतु भू-उपयोग स्वीकृत किया जा सकता है ।

6- ग्रुप हाउसिंग हेतु अन्य सभी शर्तें इस हेतु बनाई गई उपविधियों के अनुरूप होगें ।

विषय:- रायबरेली रोड पर भू-उपयोग परिवर्तन के लिये प्रस्ताव ।

प्रस्ताव :- लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना जो कि गत कई वर्षों से कार्यान्वित है और प्रगति पर है । यह योजना पूरब में बिजनौर रोड, पश्चिम में कानपुर रोड, उत्तर में शारदा कैनाल एवं दक्षिण में वर्तमान ट्रान्सपोर्ट नगरतक फैला है जिस पर कार्य प्रगति पर है । इस योजना का फैलाव पूरब में द्रुतगति से सम्भावित है । अत: वर्तमान में लखनऊ महायोजना के अन्तर्गत यह क्षेत्र एग्रीकल्चर, हार्टीकल्चर एवं डेरी आदि हेतु प्रस्तावित है परन्तु कानपुर रोड योजना के विकास के साथ-साथ स्वत: ही इस क्षेत्र का भू-उपयोग परिवर्तन उपरोक्त से आवासीय, व्यवसायिक एवं कार्यालय में होना सम्भावित है । अत: इन सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निम्न सीमाओं से घिरे हुए क्षेत्र का भू-उपयोग परिवर्तन मिक्स लैण्ड यूज के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत आवासीय, व्यवसायिक एवं कार्यालय आदि भू-उपयोग सम्मिलित होगें ।

सीमायें :-

पूरब में - शारदा कैनाल

पश्चिम में - बिजनौर रोड

उत्तर में - शारदा कैनाल, रायबरेली रोड, महायोजना में भू-उपयोग जी-2 (कैन्टोनमेन्ट)

दक्षिण में - संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट को सम्मिलित करते हुए ।

अत: उपरोक्त परिस्थितियों में विकास प्राधिकरण के समक्ष उपरोक्त सीमाओ के घिरे हुए क्षेत्र को एग्रीकल्चर, हार्टीकल्चर एवं डेरी हेतु आरक्षित भू-उपयोग से मिक्स लैण्ड यूज जिसमें आवासीय, व्यवसायिक एवं कार्यालय आदि भू-उपयोग सम्मिलित होगें, में परिवर्तन करने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है ।

-x-x-x-x-x-

बिषय:- आवासीय भवन बनाने हेतु निर्धारित प्रचलित सेट बैक में कुछ संशोधन किये जाने हेतु प्रस्ताव ।

प्रस्ताव:-

वर्तमान में प्रचलित भूखण्डो पर लखनऊ विकास क्षेत्र एवं विभिन्न आवासीय योजनाओं में प्रचलित सेट बैक के कारण भूखण्ड धारको को भू-आच्छादन के सम्बन्ध में कुछ कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है तथा कभी-कभी निर्धारित भू-आच्छादन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है ऐसी दशा में भूखण्ड धारकों और विकास प्राधिकरण के स्तर पर अपने विवेक से निर्णय लेना सम्भव नहीं होता है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये एक माडल बिल्डिंग बाईलाज शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किये गये है जिनके अन्तर्गत आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग हेतु प्रस्तावित भूखण्डों एवं अधिकतम आवासीय भूखण्डों हेतु सेट बैक निर्धारित किये गये है ।

ई0डब्लू0एस0 के भूखण्डो/भवनों हेतु सामने का सेट बैक 0.75 मीटर तथा कार्नर प्लाट होने की दशा में भी साइड सेट बैक 0.75 मीटर रखना उचित होगा । भूखण्ड का आच्छादन भूखण्ड में सेटबैक छोड़ने के उपरान्त शेष क्षेत्रफल तक भू-आच्छादन तथा दो मंजिले भवन का निर्माण अनुमन्य होगा ।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य भूखण्डो पर निम्न सेट बैक प्रस्तावित हैं:-

भूखण्ड का क्षेत्रफल	सेट बैक मीटर में			
	सामने	पीछे	बगल में	
			1	2
200 वर्गमी0 तक	3.0	3.0	-	-
201 से 350 वर्ग मी0तक	3.0	3.0	1.8	-
351 से 450 वर्ग मी0तक	4.5	3.0	3.0	-
451 से 600 वर्ग मी0तक	4.5	6.0	3.0	-
601 से ऊपर	6.0	6.0	3.0	3.0

क्रमशः....2

नोट:-

§1§ भूखण्डो का भू-आच्छादन सेट बैक छोड़ने के उपरान्त शेष क्षेत्रफल के बराबर अनुमन्य होगा ।

§2§ एफ0ए0आर0 निम्नानुसार होगा :-

अ- 500 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड तीन मंजिल तक बनाये जा सकते हैं ।

ब- 500 वर्ग मीटर से 1499 वर्ग मीटर तक भूखण्डो पर निर्माण तीन मंजिलों में अनुमन्य भू-आच्छादन के दो गुना के बराबर तक किया जा सकता है ।

§3§ कार्नर के भूखण्ड में जो भूखण्ड का साइड सेट बैक उपरोक्त तालिका में है वही उस भूखण्डका रोड की साइड में साईड सेट बैक होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इस सेट बैक में कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा ।

उपरोक्त प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

x-x-x-x-x-x-x

बिषय:- वर्तमान निनिर्मित व विकसित क्षेत्रो एवं विकसित हो रहे/अविकसित क्षेत्रो में भू-उपयोग हेतु जोनिंग रेगुलेशन्स ।

प्रस्ताव:-

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: 2757/37-3-12एन0के0वी0/85, आवास अनुभाग-3 दिनॉक: 18 अगस्त 1986 द्वारा उत्तर प्रदेश नगरों में स्थित विकास क्षेत्रों एवं बिनियमित क्षेत्रों को महायोजना में निर्मित व विकसित क्षेत्रों एवं विकसित हो रहे/अविकसित क्षेत्रों में भू-उपयोग हेतु समुचित जोनिंग रेगुलेशन्स के अभाव में शासन, द्वारा विघोरोपरान्त माडल जोनिंग रेगुलेशन्स राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 41 की उपधारा (1) तथा उत्तर प्रदेश (रेगुलेशन्स आफ बिल्डिंग आपरेशन्स) ऐक्ट 1958की धारा-5 के अधीन यह निर्देश दिया गया है कि इन माडल बाईलाज को विकास प्राधिकरण/नियम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक परिष्कारो सहित ग्रहण करके क्षेत्र की प्रस्तावित /संशोधित होने वाली महा-योजना से संलग्न कर दिया जाये तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। चूँकि लखनऊ महायोजना मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है जिसकी प्रति उनको भी पृष्ठांकित है तथा लखनऊ महायोजनामें इन माडल बाईलाजों का समावेशम तो किया जायेगा परन्तु विकास प्राधिकरण इन माडल बाईलाज को पुनरीक्षित महायोजना के लागू होने तक विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार एवं लागू करने हेतु सूचनार्थ प्रस्तुत है ।

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

विषय संख्या: 33

विषय:- भवन विभाग में मानचित्रों की स्वीकृति के सरलीकरण के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव :- लखनऊ विकास प्राधिकरण में भवन मानचित्रों की स्वीकृति के सन्दर्भ में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के बारे में गत कुछ समय से यह विचार किया जा रहा है कि मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाया जाये जिसके कारण भूखण्ड स्वामियों को आसानी से शीघ्रातिशीघ्र भवन मानचित्र स्वीकृत करके उपलब्ध करा दिये जायें । लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत भवन मानचित्र लाइसेन्सड वास्तुविद/इंजीनियर्स/ड्राफ्टमैन द्वारा ही बनाये जाने की प्रक्रिया है परन्तु मानचित्रों की स्वीकृति के सरलीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में आर्कीटेक्ट्स ऐक्ट 1972 के अन्तर्गत कौंसिल आफ आर्कीटेक्ट्स द्वारा रजिस्टर्ड मेम्बर्स द्वारा ही प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति इस प्रक्रिया के अन्तर्गत मान्य होगी जिसके लिये निम्न प्रक्रिया प्रस्तावित है :—

§1§ मानचित्रोंके स्वीकृति के सरलीकरण के सम्बन्ध में जो नयी प्रक्रिया प्रस्तावित है उसके अनुसार सम्पूर्ण नगर में 5000 वर्गफिट क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों पर कौंसिल आफ आर्कीटेक्ट्स के रजिस्टर्ड आर्कीटेक्ट से हस्ताक्षर युक्त तथा वांछित अभिलेखों सहित प्राप्त मानचित्रों पर बिना तकनीकी जॉच किये अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेगें और भूखण्ड स्वामी उसके पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं । इस प्रक्रिया के प्रारम्भ करने से पूर्व आवासीय भवनों हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी जॉच हेतु जो चेकलिस्ट बनायी जायेगा वह प्रत्येक उपरोक्त आर्कीटेक्ट को पूर्व में दे दी जायेगी । मानचित्रों को जमा करने से पूर्व आर्कीटेक्ट अपने स्तर से स्वयं चेक करके मानचित्र जमा करेगें जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आर्कीटेक्ट का होगा ।

§2§ विकास प्राधिकरण अपने स्तर से मानचित्रों की तकनीकी जॉच करके स्थल का निरीक्षण करेगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता या अतिक्रमण पाये जाने की

क्रमशः——————2

दशा में सम्पूर्ण रूप से आर्कीटेक्ट उत्तरदायी होगा ।

§3§ यदि भूखण्ड स्वामी आर्कीटेक्ट की सेवाओं का उपयोग केवल मानचित्र बनवाने तक ही करता है और भवन निर्माण अपने स्तर से करवाता है तो ऐसी दशा में यह आवश्यक होगा कि आर्कीटेक्ट इसकी लिखित सूचना विकास प्राधिकरण के भवन विभाग को प्रेषित करे नहीं तो यह माना जायेगा कि निर्माण कार्य का सुपरवीज़न आर्कीटेक्ट द्वारा ही कराया जा रहा है जिसके लिये वह उत्तरदायी होगा अन्यथा भूखण्ड स्वामी ।

§4§ भवन मानचित्रों को जमा करते समय निम्नलिखित अभिलेख एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक होंगे :-

§अ§ मानचित्रों के साथ सेलडीड/लीजडीड की प्रमाणित प्रति-लिपि लगी होना आवश्यक है तथा मानचित्रों पर आर्कीटेक्ट के हस्ताक्षर, मुहर, कौंसिल आफ आर्कीटेक्ट्स की चालू वर्ष का रजिस्ट्रेशन नम्बर होना आवश्यक है ।

§ब§ फ्री-होल्ड भूमि का भूखण्ड होने की दशा में नजूल, कम्पयूटर, अर्जन/स्कीम, सीलिंग तथा एक्सटेन्डेड एरिया में तहसीलदार, नगर महापालिका से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है । उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र पूर्व में प्राप्त करने हेतु भूखण्ड स्वामी साईट प्लान व अन्य अभिलेख जमा करके आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं ।

§5§ अर्जन विभाग द्वारा निम्न नीति के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जायेंगे :—

§अ§ जो योजनायें सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित कर दी गयी हैं उन पर आपत्ति के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र न दिया जाये ।

§ब§ जो योजनायें लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्तर पर लम्बित हैं और जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित नहीं की गयी हैं उन पर स्पष्ट उल्लेख के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाये ।

§6§ भवन निर्माण पूर्ण होने की दशा में वास्तुविद पुनः कम्पलीशन ड्राइंग एण्ड सर्टीफिकेट भवन विभाग में जमा करेगा जिसकी तकनीकी जाँच के उपरान्त मानचित्र स्वीकृति के साथ भूखंड स्वामी को तीन माह के अन्दर वापस कर दिया जायेगा ।

क्रमशः————————3

§78 आर्कीटेक्ट्स के लिये यह आवश्यक होगा कि वे नियमानुसार कार्य करेंगे अन्यथा उनके विरूद्ध शिकायत काउंसिल आफ आर्कीटेक्ट्स में करके उनका रजिस्ट्रेशन समाप्त करा दिया जायेगा तथा उनका नाम बलैक-लिस्ट में रखने के पश्चात उनके द्वारा जमा किये गये मानचित्र भविष्य में स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

भवन मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में यदि उपरोक्त प्रस्तावित सरलीकरण की प्रक्रिया अपनायी जाती है तो भवन चित्र पत्रावलियों के शीघ्र निस्तारण के साथ जनता को भी राहत मिलेगी । प्रयोग के तौर पर यह प्रक्रिया 5000 वर्गफिट क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों हेतु ही लागू किया जाना प्रस्तावित है तथा सफल होने पर अन्य सभी प्रकार के भूखण्डों व भवनों के लिये भी अपनायी जायेगी । अतः उपरोक्त प्रस्ताव विकास प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है ।

-x-x-x-x-x-x-x-

विषय: लखानऊ विकास प्राधिकरण के नजूल भूखाण्डों पर प्लाट- होल्डर्स व्दारा स्वयं भूखाण्डों के विकसित करने की योजना ।

लखानऊ विकास प्राधिकरण के नजूल विभाग के पास बहुत सी ऐसी सम्पत्ति है, जिसके अधिग्रहण का प्रस्ताव या तो भेज दिया गया है अथवा भेजे जाने पर विचार किया जा रहा है । लखानऊ विकास प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य स्वयं हाउसिंग के कार्य को कम करना है तथा अन्य प्राइवेट एजेन्सीज़ को बढ़ावा देना है ताकि वह स्वयं हाउसिंग एवं विकास का कार्य लखानऊ विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार करें ।

अत: ऐसी स्थिति में नजूल भूखाण्डों के जो प्लाट होल्डर्स हैं उन्हे एक मौका दिया जायेगा कि वह लखानऊ विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं महायोजना के अनुसार अपने भूखाण्डों के विकास की कार्यवाही स्वयं करें और यदि वे कार्यवाही करने में अक्षम होते हैं तो प्राधिकरण उनके भूखाण्डों को अधिग्रहीत कर लेगा । इसके अतिरिक्त लखानऊ विकास प्राधिकरण व्दारा भेजे गये प्रस्ताव जो शासन या जिलाधिकारी स्तर पर विचाराधीन हैं और प्लाट होल्डर्स लखानऊ विकास प्राधिकरण की नीति के अनुसार हाउसिंग या विकास कार्य करने को तैयार हो जाते हैं तो उन प्रस्तावों को वापस ले लिया जाये । लखानऊ विकास प्राधिकरण इस प्रकार के नजूल भूखाण्डों के विकास पर यह प्रतिबन्ध लगायेगा कि भूखाण्ड का 25 प्रतिशत भाग पर सोशल सर्विसेज़ के लिये आरक्षित किया जायेगा जिसपर विकास-प्राधिकरण के प्लान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । ऐसे मामलों में जहाँ पर 25 प्रतिशत खुला भाग लेने में कोई समस्या परिलक्षित होगी वहाँ पर आच्छादित क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत भाग लिया जायेगा जिसके मूल्य निधारिण तथा आवन्टन का कार्य विकास प्राधिकरण व्दारा किया जायेगा ।

विषय: श्री प्रकाश नारायन सेठ, 19-विधान सभा मार्ग लखनऊ के भूखण्ड संख्या: बी-3 के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

==========

श्री प्रकाश नारायण सेठ का एक मानचित्र आफिस काम्पलेक्स हेतु परमिट संख्या- 613-ख, दिनांक 20-1-1980 द्वारा स्वीकृत किया गया था जिसके निर्माण की अवधि तीन वर्ष उपरान्त समाप्त हो गई परन्तु पक्षा द्वारा निर्माण नहीं कराया गया । श्री सेठ ने पुन: दिनांक 16-3-1985 को उसी भूखण्ड पर कार्यालय भवन के निर्माण की अनुमति के लिये आवेदन किया था परन्तु उस समय परीक्षण के दौरान यह बात ज्ञात हुई कि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग महायोजना में आवासीय होने के कारण कार्यालय उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती और इसी आधार पर दिनांक 12-8-1985 को मानचित्र निरस्त कर दिये गये ।

उक्त आदेशों के विरूद्ध पक्षा ने अध्यक्षा, लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्षा अपील की जिसमें यह निर्णय दिया गया कि पक्षा के विरूद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत व विधि के अनुकूल न होने के कारण पक्षा द्वारा प्रस्तुत किये गये मानचित्र नियमानुसार स्वीकृत किया जाये । अध्यक्षा महोदय के आदेशों के विरूद्ध शासन के समक्षा पुनरीक्षण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया जिसमें अध्यक्षा महोदय के आदेशों को यथावत् रखा गया ।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सचिव, आवास एवं नगर-विकास के अर्धसरकारी पत्र संख्या- 3856/37-3/1986, दिनांक: 30 अक्तूबर, 1986 के द्वारा वर्तमान नियमों के अनुसार प्रश्नगत स्थल का आवासीय भू-उपयोग से कार्यालय भू-उपयोग परिवर्तन की संस्तुति चाही है । अत: भू-उपयोग परिवर्तन का विषय प्राधिकरण के समक्षा विचारार्थ प्रस्तुत है ।

विषय संख्या: 36

पृष्ठ संख्या: 85

विषय: प्राधिकरण के अभिलेखों के सम्बन्ध में वीडिंग रूल्स के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण के अभिलेखों से सम्बन्धित वीडिंग रूल्स की नियमावली की अधिसूचना का प्रारूप प्राधिकरण के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ संलग्न है।

अधिसूचना

दि डिस्ट्रक्शन आफ़ रिकार्डस ऐक्ट, 5 आफ़ 1917 की धारा-3 (2)(सी) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके लखनऊ-विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से लखनऊ-विकास प्राधिकरण में अभिलेखों के निदनि (वीडिंग) की नियमावली, 1986 बनाई जाती है । राज्य सरकार ने उक्त ऐक्ट की धारा-3(2)(सी) के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण को उक्त नियमावली बनाने हेतु प्राधिकृत भी किया हुआ ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में अभिलेखों के निर्दलन (वीडिंग) की नियमावली, 1986

1- (क) यह नियमावली लखनऊ विकास प्राधिकरण में अभिलेखों के निदनि (वीडिंग) की नियमावली, 1986 कहलायेगी ।

(ख) यह नियमावली लेखा सम्बन्धी रिकार्ड के सम्बन्ध में उसी सीमा तक लागू होगी कि वित्त हस्त-पुस्तिका वा0 5 के परिशिष्ट 16 में दिये नियमों के विरुद्ध न हो ।

2- लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रत्येक अनुभाग में सम्बन्धित सहायक किसी पत्रावली में कार्यवाही पूर्ण हो जाने तथा उसके निस्तारण के पश्चात् यह जाँच करके कि उसमें कोई कार्यवाही शेष नहीं है, और उसे निर्दोष किया जाये, सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी की स्वीकृति से उसके निदनि की कार्यवाही करेगा । यह कार्य प्रत्येक सहायक के नियमित कार्य का अंग होगा और यह निरन्तर किया जाता रहेगा ।

3- अभिलेखागार में परिशिष्ट "क" में दिये गये विवरण के अनुसार पत्रावलियां सुरक्षित रक्खी जायेगी परन्तु प्रतिबन्ध यह है, कि उपाध्यक्ष अथवा सचिव किन्ही विशेष कारणों का उल्लेख करते हुए निर्धारित अवधि से अधिक समय तक सुरक्षित रखाने के आदेश पारित कर सकते हैं ।

4- रिकार्ड कीपर प्रारूप एल0डी0ए0 फार्म-7 व एल0डी0ए0 फार्म-8 में दो रजिस्टर रक्खेगे । हर रजिस्टर में प्रविष्टि, भू-लेख क्रमानुसार अभिलेखागार में अभिलेखों के आने पर की जायेगी ।

5- रिकार्ड कीपर पत्रावलियों में अभिलेखों को नष्ट करने हेतु पत्रों का परीक्षण करने का एक क्रमबद्ध प्रोग्राम बनायेगे । जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में इन पत्रों का जो परिशिष्ट "क" में दिये समय के अनुसार नष्ट होने योग्य हैं, निकाल लेगे, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि परीक्षण के समय भी रिकार्ड कीपर को यह सन्देह उत्पन्न हो कि अभिलेख को सुरक्षित रखाने का समय अभिलेख दाखिल

क्रमशः---

करते समय ठीक नहीं लिखा गया था तो वह ऐसे अभिलेखों के विक्रय में एक अपनी टीका रजिस्टर सहित उपाध्यक्ष, सचिव अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी के पास समुचित आदेश पारित करने हेतु प्रस्तुत करेंगे ।

6- यदि पत्रावली के सभी कागजात नष्ट कर दिये जायें तो निर्धारित रजिस्टर एल0डी0ए0 फार्म-7 के स्तम्भ-12 में इस प्रकार लेखा कर दिया जायेगा " समस्त पत्रावली मेरी मौजूदगी में नष्ट कर दी गयी "

रिकर्ड कीपर के हस्ताक्षर

नष्ट कराने वाले सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर,

यदि कुछ पत्र नष्ट कर दिये जायें तो लेखा इस प्रकार किये जायेंगे ।

क्रमांक नं0 मेरी उपस्थिति में नष्ट किये गये ।

रिकार्ड कीपर के हस्ताक्षर

नष्ट कराने वाले सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर,
---

7. अभिलेखा नष्ट करते समय स्टाम्प, स्टाम्प पेपर अलग कर लिये जायें और उनको रिकार्ड कीपर अपने पास ताले में बन्द करके रखेंगे । जब काफ़ी मात्रा में एकत्रित हो जायें तब अनुसचिव अधिष्ठान की उपस्थिति में जला दिये जायेंगे । यह कार्य साधारणतया: हर मास के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा ।

आज्ञा से,

सचिव
विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

परिशिष्ट "क" § देखो नियम-3 §

अभिलेखों का नष्ट करना

अभिलेख नष्ट करने की अवधि की गणना पत्र की दिनांक अथवा पत्रावली/रजिस्टर, पुस्तक में अन्तिम कार्यवाही की दिनांक से की जायेगी

वर्ग §1§ एक वर्ष के बाद नष्ट किये जाने वाले अभिलेख ।

1. अभिलेखों की प्रतिलिपियों के लिये प्रार्थना-पत्र ।
2. प्रपत्र आदि छपवाने की पत्रावलियाँ ।
3. ऐसे प्रकीर्ण पत्र जिनका परिणाम अथवा सारांश सम्बन्धित रजिस्टरों या फाइलों में दर्ज करने से महत्वपूर्ण न रह गये हों ।
4. निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति रिपोर्ट यदि कार्य पूर्ण हो गया है ।
5. प्रार्थनापत्र जो फुटकर कार्यों हेतु जैसे: पार्कों में मीटिंग करना, खेलकूद करना, पेड़ कटवाना आदि आदि न्यून महत्व वाले कार्यों की अनुमति हेतु अथवा ऐसे प्रार्थना-पत्र जो अस्वीकृत कर दिये गये हों ।
6. लेखा-जोखा सम्बन्धी ऐसे पत्र जो लेखों में कमी बेशी हो में समायोजित होने अथवा लेखा बन्द करने जैसे: निम्न महत्व के लिये हों ।

वर्ग §2§ तीन वर्षोपरान्त नष्ट करने वाले अभिलेख ।

1. विभागीय एवं स्थानीय निरीक्षण टिप्पणी आदि ।
2. अग्रिम बकाया सूचियाँ आउट डोर स्टाफ़ द्वारा ।
3. धन जमा करने के चालान
4. विभागीय निधि से वापसी करने के प्रार्थना-पत्र जिनमें कार्यवाही हो चुकी हो ।
5. बिलों के काउन्टर फाइल ।
6. दैनिक आय सारिणी ।
7. कुर्की द्वारा वसूल किये जाने वाले धन का रजिस्टर ।
8. धन संचय की प्रगति-पत्र
9. तहबाजारी दर्शनीय स्थानों तथा खुली भूमि की दैनिक शुल्क वसूली से सम्बन्धित फैसवैल्यु टिकट की काउन्टर फायलें ।
10. वर्क रजिस्टर § कार्य समाप्त के दिनांक से तीन वर्ष पश्चात §
11. अवकाश रजिस्टर
12. यातायात भत्ता बिल्स
13. स्थाई अग्रिम रजिस्टर
14. स्टैम्प तथा डिस्पैच रजिस्टर ।
15. उपस्थिति रजिस्टर ।
16. मस्टर रोल ।

क्रमशः——

वर्ग (3) पाँच वर्ष बाद नष्ट किये जाने वाले अभिलेख

1. बजट से सम्बन्धित परिशिष्ट एवं सामग्री ।
2. वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार की सामग्री ।
3. कर्मचारियों की सेवा पर प्रभाव डालने वाली पत्रावलियाँ जैसे: नियुक्ति, प्रोन्नति, पदावनति, छटनी अथवा सेवा से पृथक किये जाने की पत्रावलियाँ तथा सम्बन्धित कर्मचारी की छुट्टी उसके विरुद्ध शिकायत चरित्र आदि की जाँच सम्बन्धी पत्र तथा इसी तरह अन्य प्रकार से जो स्थाई सन्दर्भ के लिये आवश्यक न हो । इन पत्रावलियों के नष्ट होने की तिथि कर्मचारी की सेवा की समाप्ति से गिनी जायेगी ।
4. भवन एवं भूमि के पट्टे से सम्बन्धित अथवा अनुबन्धन की फाइलों जो अस्थाई स्वभाव की हों को (अवधि की गणना की समाप्ति से की जायेगी (
5. कर अथवा शुल्क निर्धारिण सम्बन्धी प्राप्त आपत्ति-पत्र ।
6. सामान्यतया ऐसी पत्रावलियाँ जो अनुभागाध्यक्ष द्वारा अस्थाई स्वभाव की मानी गई हों ।

वर्ग (4) दस वर्ष के बाद नष्ट किये जाने वाले अभिलेख ।

1. वाद पत्रावलियाँ जिनका महत्व न रह गया हो ।
2. लीगल रिमेम्बरेन्स से किसी वाद(जो संस्थान के विरुद्ध किसी के द्वारा कायम किया गया हो और पर्याप्त महत्व का न हो (पर हुए पत्र-व्यवहार की पत्रावलियाँ ।
3. डिमान्ड तथा कलेक्शन रजिस्टर ।
4. मासिक लेखा-जोखा के पत्र ।
5. चैक बुक्स की काउन्टर फायल ।
6. स्थाई ऐडवान्स रजिस्टर्स ।
7. कार्य के ठेके के अनुबन्धा(प्रभावहीन होने के दस वर्ष बाद (
8. चरित्र पर्जिका एवं सेवा पुस्तिका (सेवा समाप्ती के बाद (
9. वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन के विवरण-पत्र ।

वर्ग (5) स्थाई रूप से सुरक्षित रखने योग्य अभिलेख ।

1. प्रशासनिक एवं साधारण सामान्य आदेशों, राज्य आज्ञाओं, कार्यालय ज्ञापों, महत्वपूर्ण परिपत्रों तथा राजकीय विज्ञप्तियों की पत्रावलियाँ एवं गाईड फाइल ।
2. नगर के सीमांकन, नियमों, उप नियमों, उपविधियों, करों तथा शुल्कों का निर्धारिण अथवा उनके प्रचार एवं प्रसार की पत्रावलियाँ ।
3. वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तथा उस पर जिलाधिकारी/ आयुक्त/ राज्य के आदेश ।
4. सार्वजनिक निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ अथवा उनके अंश जो स्थाई महत्व के हों ।
5. ऋण एवं निक्षेप सम्बन्धी पत्रावलियाँ ।

क्रमशः----

6. भूमि एवं भवन को बिक्री करने की पत्रावलियाँ तथा सभी लीज़ पर्जिकायें ।
7. उच्च न्यायालय के निर्णय से प्रभावित होने वाले विषय की पत्रावलियाँ ।
8. प्राधिकरण के विरूध्द वाद अथवा प्रासिक्युशन पर शासन के आदेश ।
9. भवन निर्माण सम्बन्धी स्वीकृति चित्र, परमिट, अनाधिकृत निर्माण, वाद के प्रथम नोटिस मानचित्र सहित अन्तिम आदेश भवन ध्वस्त करने के आदेश तथा अनुपालन तथा शमन मानचित्र ।
10. ऐसी समस्त पत्रावलियाँ जिनमें भवन निर्माण सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान की गई हो और निर्माण कार्य स्वीकृति अनुसार समाप्त हो गया हो ।
11. मेजरमेन्ट बुक्स
12. प्राधिकरण के बैठकों के तथा उसकी उप-समितियों के कार्यवृत्त ।
13. सदस्यों का रजिस्टर ।
14. प्राविडेन्ट फन्ड रजिस्टर ।
15. आदेश पुस्तिका ।
16. अचल सम्पत्तियों का रजिस्टर ।
17. सार्वजनिक निर्माण कार्यों का रजिस्टर ।
18. वार्षिक साधारण (मैन्टीनेन्स) लेखो का रजिस्टर ।
19. स्केल रजिस्टर ।
20. जनरल कैशबुक ।
21. वार्षिक चिट्ठा (बैलेन्सशीट)
22. प्रतिभूतियों, निक्षेपों तथा ऋणों का रजिस्टर ।
23. सिक्योरिटीज़ एवं लोन फलोट करने के पत्र एवं रजिस्टर ।
24. सभी प्रकार के इनडेक्स रजिस्टर ।
25. ऐसी भूमियों का रजिस्टर्स जो दूसरे विभागों के अध्यासन में हो ।
26. महत्वपूर्ण स्थायी पत्रावलियों का रजिस्टर ।
27. रजिस्टरों का रजिस्टर ।
28. आभार एवं दायित्वों का रजिस्टर ।
29. भूमि जो स्थाई अथवा अस्थाई रूप से यदि किसी को दी गई हो का रजिस्टर ।
30. स्टाक बुक्स ।
31. पे-बिल एवं अक्वीटेन्स रोल ।
32. धन प्राप्त की रसीदों की किताबें (काउन्टर फायर आफ़ रिसीव बुक फार्म नं0- 2)
33. बिक्री होने वाले फार्मों का रजिस्टर ।
34. नक्शा, खसरा एवं सम्पत्ति रजिस्टर्स ।
35. प्राधिकरण के वार्षिक कार्य कलापों की विवरण पुस्तिका ।
36. वाद रजिस्टर्स ।
37. वकीलों, ठेकेदारों आदि के पर्सनल लेजर्स ।
38. अन्य पत्रावलियाँ एवं पत्र जो अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष व्दारा निर्देशित किये जायें ।

क्रमशः----

रिकार्ड कीपर का पत्र व्यवहार का रजिस्टर

एल0डी0ए0 फार्म- 7

पत्रावली का विवरण

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रमांक	विभाग	फाइल नम्बर	पत्रावली में पत्रों की संख्या	रिकार्ड रूम में दाखिल करने की तिथि	तिथि जिसको पत्रावली नष्ट करने के लिये परीक्षण करना है।	रिकार्ड कीपर के हस्ताक्षर	तिथि जिसपर पत्रावली वास्तविक रूप से नष्ट करने के लिये परीक्षण की गई।

9	10	11	12
नष्ट किये गये कुल पत्र	तारीख नष्ट करने की	पत्रावली में अवशेष पत्रों की संख्या	विशेष विवरण

रिकर्ड कीपर का अभिलेखों का रजिस्टर, एल0डी0ए0 फार्म-8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रमांक	रिकार्ड का विवरण	रिकार्ड रूम में दाखिल होने की तिथि	तारीख जिसपर नष्ट करने का परीक्षण करना है	रिकार्ड कीपर के हस्ताक्षर	तारीख जिसमें नष्ट करने का परीक्षण किया गया	तारीख नष्ट करने की	नष्ट करने के आदेश देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	विशेष विवरण

आज्ञा से,

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

विषय संख्या: 37 पृष्ठ संख्या: 92

विषय: भवन मानचित्रों की स्वीकृति प्राप्त करने व अपील करने हेतु लिये जाने वाले शुल्क की दरों का पुनरीक्षण ।

========

लखनऊ विकास प्राधिकरण में भवन चित्रों की स्वीकृति हेतु लिये जाने वाले शुल्क की दर पूर्व में नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर लिया जा रहा था परन्तु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-55 की उप-धारा-1ए तथा 2 सी. तथा धारा 15 की उपधारा 2 के अन्तर्गत संशोधित दरों का निर्धारण आवास-अनुभाग-2 के नोटीफिकेशन संख्या: 5984/xxx 11-2-27-डी0ए0-81, दिनांक मई 13, 1983 में हो चुका है तथा इसका प्रकाशन भी उ0प्र0 गजट, असाधारण दिनांक 16 मई, 1883 के पृष्ठ सं0: 4 से 6 तक, हो चुका है ।

उपरोक्त संशोधित दरों को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार करने तथा लागू करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक के समक्ष प्रस्तुत है ।

THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT (Fee on Application for Permission and on Appeal) RULES, 1983

English translation of Avas Anubhag-2, Noti. No. 5984/XXXVII -2--27-D.A.-81, dated May 13,1983, published in U.P. Gazette, Extra., dated 16th May, 1983, pp.4-6

In exercise of the powers under sub-section (1) read with clauses (a) and (c) of sub-section (2) of Section 55 and sub-section (2) of Section 15 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act,1973 (President's Act No. 11 of 1973) as re-enacted with Modifications by the Uttar Pradesh President's Act (Re-enactment with Modifications) Act, 1974 (U.P. Act No. 30 of 1974), the Governor is pleased to made the following rules laying down the rates of fee on application for permission for development and on appeal as hereunder:-

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT--(1) These Rules may be called the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Fee on Application forPermission and on Appeal) Rules, 1983;

(2) They shall be applicable to the whole of Uttar Pradesh; and

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. DEFINITIONS- In these rules, unless the the context otherwise requires;-

(1) ''Covered Area'' means the area covered on all floors which will be calculated from the outer measurement of the building and shall include the following;--

(a) Area of the floor;
(b) Area below the walls;
(c) Garage and verandah;
(d) Balcony, Mamti, etc.
(e) Porch suspended on the members and walls.

Contd....

Provided that the area of courtyard, open space, cante-lever projection, uncovered balcony and Dochhatti shall not be included in the above area.

(2) ''Residential Building'' shall mean the building to be used for living purposes and it will include hostel, guest-house, Dharma-shalla and Musafirkhana, etc.

(3) '' Commercial Building'' means thebuilding used for some business and shall include the following:-

(a) General retail and wholesale shop;

(b) Show-room

(c) Business-office;

(d) Meat, Pork, Fish, Vegetable and Fruit Market;

(e) Clinic;

(f) Cinema, Hotel, Restaurant and Motel;

(g) Petrol-filling station, Service-garage, Junk-places;

(h) Small unit production centres wherein persons not exceeding four in number work and the produce is sold on the spot, and Bakery etc.; and

(i) Stores and godowns.

(4) ''religious, Charitable or Educational Building'' shall mean the building used for the advancement of any of these purposes.

EXPLANATION:--(1) ''Religious Building'' includes Temple, Mosque, Gurudwara, Church, Religious Assembly Building or Satsan Building and Charitable buildings.

(2) ''Educational Buildings'' include School College, University etc. and Library and other allied Laboratories, Museaum, etc.

(5) '' Industrial Building'' shall mean the building used for any industrial purposes or production.

3- An application for permission for development under sub-section (1) of Section 15 of the Act, shall be accompanied with a receipt of

contd...

having deposited the fee in accordance with the rates prescribed hereunder:---

Nature of proposed development	Description of its constructions	Fee Payable
1	2	3
		Rs. P
(1) Residential Building	(a) For a building having a total covered area of all floors up to 60 square metres.	25.00
	(b) For a building having a total coverd area of all the floors above 60 square metres but not exceeding 120 square metres.	40.00
	(c) For a building haveing a total covered area of all the floors above 120 Square metres but not exceeding 180 square metres.	55.00
	(d) For a building having a total covered area of all the floors above 180 square metres.	100.00
(2) Commercial Building	(a) For a building having a total covered area of all the floors up to 20 square metres.	100.00
	(b) For a building having a total covered area of all the floors above 20 square metres but not exceeding 50 square metres.	150-00
	(c) For a building having a total covered area of all the floors above 50 square metres but not exceeding 100 square metres.	200.00
	(d) For a building having a total covered area of all the floors above 100 square metres (upto 100 square metres) as in the above clause (c) and for every additional 50 square metres or part.	100.00
(3) Residential-cum-Commercial Building	For such a building, the fee shall be determined according to the rates prescribed in items (1) and (2) above, on the basis of the area proposed to be used for any of the two purposes.	

Contd.

1	2	2	3
			Rs. P.
(4)	Building to be used for religious, educational or charitable purposes.	(a) For a building having a total covered area of all the floors up to 100 square metres.	25.00
		(b) For a building having a total covered area of all the floors above 100 square metres but not exceeding 200 square metres.	50.00
		(c) For a building having a total covered area of all the floors above 200 square metres.	75.00
(5)	Industrial Buildings	(a) For a building having a total covered area of all the floors up to 200 square metres.	200.00
		(b) For a building having a total covered area of all the floors above 200 square metres (up to 200 square metres) as in the above clause (a) and for every additional 100 square metres or part.	100.00
(6)	Alteration in part of the Buildings	For any alteration in any part of the buildings, the proportionate fee shall be charged according to the area covered by such alteration and at the rates provided for the type of building specified above but not less than the rates prescribed in clause (a) of sub-rule (1), clause (a) of sub-rule (2), clause (a) of sub-rule(4), clause (a) of sub-rule (5) and sub-rule (3) of this rule for the type of the building in which alteration is proposed.	
(7)	Plan for development of size.	(a) For an area up to 20 hectares or part of it.	250.00

1	2	3
	(b) For every additional 20 hectares or part of it.	125.00

4. The rate of fee on appeal preferred to the Development Authority under sub-section (5) of section 15 and sub-section (2) of Section 27 of the Act, shall be half of the rates prescribed above.

5. No fee shall be charged on application for permission of the Government departments and the local authorities.

विषय:- उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रतिनिधायन ।

प्रस्ताव :-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 10 अक्टूबर, 1974 की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके उपाध्यक्ष को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 32 के अधीन प्राधिकरण को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया था, किन्तु उपाध्यक्ष को प्रशासकीय कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता को देखते हुए यह अनुभव हुआ है कि यह कार्य किसी अन्य अधिकारी को प्रतिनिहित किया जाये ।

अत: एतद्द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव को अधिक्रांत करते हुए उक्त धारा 32 के अधीन प्राधिकरण को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये भविष्य में नगर नियोजक (भवन) को प्राधिकृत किया जाता है और उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि वे शमन शुल्क के प्रार्थना-पत्रों पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार विचार करके और यदि प्रार्थना-पत्र स्वीकृति के योग्य है तो शमन शुल्क की गणना करके उसे स्वीकार करेगें और यदि स्वीकृति के योग्य नहीं है तो उसे तद्नुसार निस्तारित करेगें । यदि शमन प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और सम्बन्धित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विहित शमन शुल्क निर्धारित समय के भीतर प्राधिकरण कोष में जमा कर दिया जाता है तो सम्बन्धित व्यक्ति या व्यक्तियों को अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने के लिये मानचित्र भी प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा ।

-x-x-x-x-

विषय: बजट 1986-87 के विरूद्ध 30-11-86 अनन्तम आय-व्यय की स्थिति ।

==========

लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल बजट दिनांक 11-4-86 को प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया था । बजट के आय-व्यय के सम्बन्ध में तीव्रता से कार्यवाही प्रारम्भ की गई, विगत वर्षों को देखते हुए आय-पक्ष में पर्याप्त प्रगति हुई । व्यय पक्ष में विगत वर्षों की अपेक्षा रिकार्ड व्यय किया गया । विशेषत: भूमि अर्जन, भूमि-विकास तथा भवन निर्माण के कार्य कलापों एवं व्ययों पर अत्यधिक जोर दिया गया । आकड़े अनन्तम हैं तथा समायोजन उपरान्त कम/अधिक हो सकते हैं ।

1.1 सारांश में आय-व्यय की स्थिति निम्नवत् रही:-

मदें	मूल बजट अनुमान	अनन्तम आँकड़े 30-11-86 तक
प्रारम्भिक शेष	रू0 120.00	रू0 269.84
आय	रू0 5640.24	रू0 3707.39
योग	रू0 5760.24	रू0 3977.23
व्यय	रू0 5639.74	रू0 2999.68
उच्चन्त खाते पर व्यय	-	रू0 102.75
अन्तिम शेष	रू0 120.50	रू0 874.80

1.2 सारांश में योजनावार आय व्यय की स्थिति निम्नवत् है ।

योजना का नाम	आय	व्यय
अलीगंज योजना	रू0 113.31	रू0 73.35
कानपुर रोड योजना	रू0 1373.11	रू0 905.56
गोमती नगर	रू0 1219.80	रू0 996.60
सीतापुर रोड	रू0 596.47	रू0 545.76
ला-प्लास	रू0 2.82	रू0 47.20
टिकैत राय	रू0 57.42	रू0 64.06
अन्य योजनायें	रू0 92.34	रू0 74.67
व्यवसायिक केन्द्र	रू0 21.90	रू0 36.37
(उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त)		
हाटमिक्स प्लान्ट	रू0 6.82	रू0 34.55
सामान्य मदें	रू0 145.41	रू0 213.19
शासकीय अनुदान	रू0 77.97	रू0 8.37
	रू0 3707.37	रू0 2999.68

.....क्रमश:

1.3 प्राधिकरण के पास 1.12.86 को अन्तिम अवशेष रू0 874.80 लाख तथा विनियोजित धनराशि रू0 545.17 लाख मिलाकर रू0 1419.97 लाख का धन उपलब्ध था। रू0 545.17 लाख की विनियोजित धन में रू0 220.29 लाख दीर्घकालिक तथा रू0 324.85 लाख अल्पकालिक डिपाजिट में है।

2. प्राधिकरण ने वर्ष 1985-86 में बैंकों से डिपाजिट के विरूध्द रू0 150.00 लाख अग्रिम लिया था जिसे चालू वित्तीय वर्ष में ब्याज सहित वापिस कर दिया गया है। शासन ने रू0 5.00 करोड़ का शार्ट-टर्म ऋण दिया है जिसका उपभोग भूमि प्रतिकर भुगतान करने में तथा भुगतान करने के लिये रिर्जव में रखने में किया गया है।

प्राधिकरण, बजट में प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार आय-व्यय की उपलब्धि की ओर अत्यधिक प्रयास कर रहा है तथा यह भी चेष्टा की जा रही है कि व्यय अधिक से अधिक उत्पादक मदों पर किया जाये।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनन्तिम आय व्यय विवरण 30-11-86 तक (टेन्टेटिव आँकड़े) (लाख रु० में)

बजट मदें	आय पक्ष: बजट प्राविधान 1985-86	वास्तविक धनराशि 30-11-85	बजट प्राविधान 1986-87	वास्तविक धनराशि 30-11-86	बजट मदें	व्यय पक्ष: बजट प्रावि धान 1985-86	वास्तविक धनराशि 30-11-85	बजट 1986-87 प्राविधान	धनराशि 30-11-86 तक
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1. लीज़ रेन्ट	10.00	3.17	40.21	71.10	1. अधिष्ठान	107.76	79.90	125.00	94.14
2. हायर परचेज़ किश्तें	25.00	15.17	202.31	95.97	2. ऋणों का प्रतिदान	347.10	166.45	564.67	386.65
3. भवन/दुकानों का किराया	48.50	16.23	46.55	11.55	3. भूमिअर्जन	510.00	325.00	950.00	773.00
4. भवनचित्र/अन्य शुल्क	14.10	19.76	30.00	6.23	4. विकास कार्य	1154.55	432.88	1732.00	718.79
5. भूमि की बिक्री से	1205.00	874.14	1800.00	951.13	5. भवन निर्माण	2314.00	628.46	1580.00	618.77
6. भवनों की बिक्री से	2152.12	651.11	1600.00	530.68	6. व्यवसा0केन्द्र	290.00	56.21	177.00	36.37
7. व्यव0 केन्द्रों से	299.06	41.08	400.00	28.12	7. स्टोर	210.00	247.68	200.00	191.73
8. प्राप्तियाँ	92.80	31.09	57.00	64.59	8. इन्द्रागांधी भ0व्य0केन्द्र	–	–	56.00	7.52
9. शासकीय ऋण अनुदान	105.00	27.67	264.17	616.53	9. विश्वबैंक परि0	–	–	87.17	0.85
10. संस्थागत ऋण (हडको)	700.00	612.01	1200.00	1331.49	10. डिमार्जिट कार्य अन्य (रिफन्ड कन्टीजिन्सी रख-रखाव	214.36	189.74	167.90	152.88
योग:	4651.58	2291.43	5640.24	3707.39		5147.77	2126.32	5639.74	2999.68

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक जन-सम्पर्क अधिकारी के पद् के सृजन के सम्बन्ध में ।

श्री मो0 वासिल लखनऊ विकास प्राधिकरण में सहायक जन सम्पर्क अधिकारी के पद् पर विगत चार वर्षों से कार्यरत हैं । इस अवधि में उनका कार्य सराहनीय रहा है । लखनऊ विकास प्राधिकरण की गतिविधियों और कार्य क्षेत्र लगातार प्रगति पर है और इस कार्य को समुचित बढ़ावा देने हेतु एक योग्य जन-सम्पर्क अधिकारी की आवश्यकता प्रतीत होती है । श्री वासिल इस कार्य के लिये दक्ष एवं अत्यन्त उपयुक्त व्यक्ति हैं । इनका सम्पर्क जनता, समाचार एजेन्सियों एवं शासकीय विभागों से अत्यन्त सराहनीय रहा है साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण की आय वृध्दि में बहुत सफलतापूर्वक योगदान दिया है ।

अत: लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक जन-सम्पर्क अधिकारी के पद् वेतनमान रू0 530-940 में सृजन करके श्री एम0वासिल को नियुक्त करने की कृपा करें तथा सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी के पद् पर आवश्यकतानुसार बाद में नियुक्ति कर ली जायेगी ।

प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक
दिसम्बर 11, 1986 का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

1–	श्री बृजेश कुमार	अध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण, एवँ आयुक्त, लखानऊ मण्डल, लखानऊ ।
2–	श्री अखण्ड प्रताप सिँह	सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवँ नगर विकास, विकास भवन, लखानऊ ।
3–	श्री गोविन्दन नायर	उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ ।
4–	श्री शरद् अस्थाना	सँयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग, विधान भवन, लखानऊ ।
5–	श्री डी0पी0सिँहाल	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जलनिगम, लखानऊ ।
6–	श्री एन0एस0जौहरी के स्थान पर श्री जे0पी0भार्गव	वरिष्ठ नियोजक, मुख्य ग्राम एवँ नगर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखानऊ ।
7–	डा0 वी0एन0खान्ना	सदस्य, विधान परिषद, एवँ सदस्य, लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ ।
8–	श्री राम नगीना सिँह	सदस्य, लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ ।
9–	श्रीमती उमा त्रिपाठी	सदस्या, लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ ।

=x=x=x=x=x=

10–	श्री शैलेश कृष्ण	सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ ।

=x=x=x=x=x=

बैठक की कार्यवाही से पूर्व उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण तथा समस्त उपस्थित सदस्यो द्वारा अपने नये अध्यक्ष श्री बृजेश कुमार का स्वागत किया गया तथा यह आशा व्यक्त की गई कि अध्यक्ष, महोदय के मार्गदर्शन मे लखानऊ विकास प्राधिकरण तीव्र गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा । भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राम कृष्ण के अमूल्य योगदान एवँ सफल मार्ग दर्शन हेतु धान्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया तथा उनके द्वारा लखानऊ विकास प्राधिकरण के तीव्र प्रगति हेतु किये गये प्रयासो के लिये मुक्त कण्ठ से प्रशँसा की गई ।

विषय सँख्या: 1 — लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 6 सितम्बर, 1986 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय : — लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 6 सितम्बर, 1986 के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नलिखित सँशोधनो के साथ की गई :-

क्रमशः——

निर्णय: 1 — दीन-दुखीय कार्यक्रम के अन्तर्गत झुग्गियों के निर्माण हेतु स्थल चयन हेतु गठित उपसमिति के संयोजक मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण होंगे तथा तीन सदस्यों की उपस्थिति पर इस समिति का कोरम पूर्ण माना जायेगा। यह उपसमिति एक महीने के अन्तर्गत कम से कम दो सिफारिशें अवश्य करेगी।

निर्णय: 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण के सदस्यों का यह मत था कि हरिजनों को भवन देने हेतु जो अनुदान दिया गया था उसे और भवनों के लिये भी लिया जाये।

विषय संख्या: 2

निर्णय: 6 — समस्त माननीय सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो कार्य किये गये हैं उनका उचित प्रचार भी किया जाये।

निर्णय: 9 — समस्त सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि अनधिकृत कालोनियों के विकास के सम्बन्ध में जो कार्य हो रहे हैं उनकी प्रगति की समीक्षा हेतु एक फ्रेम निश्चित किया जाये जिससे किये गये कार्यों की मानीटरिंग आसानी से की जा सके।

निर्णय: 13 — कैप्सालोन योजना के अन्तर्गत, पुराने पंजीकृत व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर आवन्टन करके ऋण उपलब्ध कराया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या: 3 — दीन-दुखीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ-विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये कार्यों की प्रगति आख्या।

निर्णय: — प्रगति का अवलोकन किया गया। प्रगति के प्रति माननीय सदस्यों ने सन्तोष व्यक्त किया एवं प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की गई।

शेष:——

विषय संख्या: 4 — अभियन्त्रण विभाग द्वारा किये गये कार्यों का प्रगति विवरण ।

निर्णय : — अभियन्त्रण विभाग द्वारा किये गये कार्यों की प्रगति विवरण हेतु निर्धारित प्रारूप के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि प्रचलित प्रारूप सन्तोषजनक नहीं है । इस प्रारूप को परिवर्तित किया जाये एवं तद्नुसार आगामी बैठक में प्रगति विवरण प्रस्तुत किया जाये ।

विषय संख्या: 5 — गोमती नगर योजना में होटल हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्राधिकरण ने इन्डियन होटल ग्रुप द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र पर विचार विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय लिया कि पाँच सितारा होटल हेतु इन्हे भी 5 एकड़ भूमि गोमती नगर योजना के अन्तर्गत उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध करा दी जाये । इसके अतिरिक्त 25 एकड़ भूमि की जो माँग की गई है इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि इस विषय में टर्मस एवं कन्डीशन्स बनाकर पहले विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करा लिये जायें तब इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या: 6 — विभिन्न व्यक्तियों को अर्जित भूमि के बदले विकसित भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — विषय यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 7 — श्री गोपाल शर्मा, क्रिकेट खिलाड़ी को रियायती दर पर भूमि आवन्टन के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया तथा यह भी निर्देश दिये गये कि अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लखनऊ निवासी खिलाड़ियों एवं कलाकारों को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु गाइड लाइन्स बनाकर प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायें ।

विषय संख्या: 8 — श्री जीवेन्द्र नाथा कौल को भूखण्ड आवन्टन हेतु गठित उप-समिति की आख्या के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — श्री जीवेन्द्र नाथा कौल को जो भूमि आवन्टित की जा रही है वह पुराने शासनादेश के सामान्य नियमों व शर्तों के आधार पर दी जाये । जिस प्रकार अन्य आवन्टियों को इससे पूर्व में भूमि

क्रमशः——

उपलब्ध कराई गई है उसी प्रकार इन्हे भी आवन्टित की जाये परन्तु कोई भी आरामशीन लगाने से पूर्व विकास प्राधिकरण की अनुमति अवश्य ली जाये तथा मास्टर प्लान के अनुरूप ही कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या: 9 — दिनांक 14-8-1986 को परिचालन व्दारा पारित प्रस्तावो का अनुमोदन ।

निर्णय : — परिचालन व्दारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

विषय संख्या: 10 — स्व0 श्री प्रभु दयाल सेवानिवृत्त सुपरवाइज़र को हेडमाली के पद मे प्रत्यावर्तित करने के सम्बन्ध मे ।

निर्णय : — प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 11 — कास्टिंग विभाग में पदो की स्वीकृति के सम्बन्ध मे ।

निर्णय : — विचार विमर्श के दौरान प्रस्तावित पदो हेतु निम्न आर्हतायें बताई गई :-

डिप्टी कास्ट एकाउन्टेन्ट

अर्हतायें

आई0सी0डब्लू0ए0 (इन्टरमीडिएट) उत्तीर्ण किसी सार्वजनिक उपक्रम अथवा उत्तर प्रदेश शासन के किसी विभाग में कास्टिंग सम्बन्धी कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।

अ थ वा

बी0काम प्रथम श्रेणी या एम0काम द्वितीय श्रेणी तथा किसी सार्वजनिक उपक्रम या राजकीय विभाग में कास्टिंग सम्बन्धी कार्य का 6 वर्ष का अनुभव ।

इकोनामिक प्लानिंग असिसटेन्ट

अर्हतायें :

आई0सी0डब्लू0ए0 (इन्टरमीडिएट) उत्तीर्ण तथा राजकीय विभाग या सार्वजनिक उपक्रम में आर्थिक नियोजन से सम्बन्धित कार्य का कम से कम एक वर्ष का अनुभव ।

अ थ वा

एम0काम0 द्वितीय श्रेणी या एम0ए0 (अर्थशास्त्र) द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण तथा किसी राजकीय विभाग या सार्वजनिक उपक्रम में आर्थिक नियोजन से सम्बन्धित कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ;

उपरोक्त प्रस्ताव का यथा-वत् अनुमोदन किया गया ।

क्रमश:——

विषय संख्या: 12 — प्राधिकरण के चतुर्थ श्रेणी वर्ग के पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पदों के सृजन की संस्तुति की जाती है, यह संस्तुतियाँ शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी जायें परन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि प्राधिकरण में तीन वर्ष से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ही इन पदों पर समायोजित किया जायेगा, कोई नई नियुक्ति नहीं की जायेगी ।

विषय संख्या: 13 — प्राधिकरण के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को साइकिल भत्ते में वृध्दि के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु साइकिल भत्ता रू0 20/- से बढ़ाकर रू0 40/- प्रतिमास किया जाता है ।

विषय संख्या: 14 — प्राधिकरण में स्टेटिसटिकल सेल की स्थापना के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — इस सम्बन्ध में मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक के प्रतिनिधि द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके विभाग से प्रतिनियुक्ति पर दो स्टेटिसटिकल-असिस्टेन्ट उपलब्ध कराये जा सकते हैं, तद्नुसार आगामी कार्यवाही की जाये । यदि मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग से उक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो प्रस्ताव के अनुसार कान्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति कर ली जाये ।

विषय संख्या: 15 — प्राधिकरण में मूलिन बस्ती निपातन योजना के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यता में शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 16 — प्राधिकरण में कर्मचारी कल्याण निधि (बेनीवेलेन्ट फन्ड) की स्थापना के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

क्रमशः----

विषय संख्या: 17 — प्राधिकरण के पार्कों के रख-रखाव के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया गया कि विकास प्राधिकरण, पार्कों के रख-रखाव के सम्बन्ध में जो टर्मस एवं कन्डीशन्स बनाये उसे अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से अनुमोदित करा लें एवं प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा प्रगति का विवरण आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

विषय संख्या: 18 — प्राधिकरण के वार्षिक लेखा एवं बैलेन्स शीट वर्ष 1983-84 का सम्परीक्षण ।

निर्णय : — विकास प्राधिकरण ने बैलेन्स-शीट का अवलोकन किया तथा निर्देश दिये कि इसे एकाउन्टेन्ट जनरल के यहाँ आडिट हेतु संस्तुति सहित भेजा जाये तथा उनकी संस्तुति प्राप्त की जाये ।

विषय संख्या: 19 — उद्दयान विभाग हेतु एक ट्रैक्टर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि उन मामलों में जहाँ पर कि बड़ी खरीद का विषय विचाराधीन हो, उस निविदा समिति में सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण भी एक सदस्य होंगे ।

विषय संख्या: 20 — उत्तर प्रदेश योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-56(1)"जे" के अधीन दस्तावेजों एवं मानचित्रों के निरीक्षण के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — यथा-प्रस्तावित संस्तुतियाँ स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित कर दी जाये तथा नियमावली में मामूली परिवर्तन हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया ।

विषय संख्या: 21 — यू0पी0एस0ई0बी0 के चेयरमैन या उनके प्रतिनिधि को विकास प्राधिकरण का सदस्य नामित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यू0पी0एस0ई0बी0 के चेयरमैन या उनके प्रतिनिधि को प्राधिकरण की आगामी बैठकों में स्पेशल इनवाइटी के रूप में बुलाया जाया करे ।

क्रमशः——

विषय संख्या: 22

यू0पी0अर्बन डेवलपमेन्ट एवं वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 697.46 लाख का ऋण प्राप्त करने एवं सेक्टर "आई" में प्रस्तावित विकास कार्यों के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 23

अलीगंज योजना के ट्रंक सीवर निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

निर्णय :

प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 24

गोमती नदी तथा गोमती नगर योजना के बीच के क्षेत्र का जोनल प्लान तथा विकास हेतु स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव सिध्दान्त रूप में स्वीकार किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि जो क्षेत्र ग्रीन-बेल्ट के रूप में छोड़ा जाना है उसे सेन्ट्रल पार्क का रूप देकर छोड़ा जाये और इसे किसी भी स्थिति में बेचा नहीं जायेगा । यह भी देख लिया जाये कि 100 एकड़ रेज़ीडेन्शियल के बजाये 40-50 एकड़ कामर्शियल से योजना वायबिल हो सकती हो तो योजना वायबिल करके बचे हुए क्षेत्र को ग्रीन रक्खा जाये ।

उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार डिटेल्ड वर्किंग करके अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से अनुमोदित करा लिया जाये तथा तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या: 25

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय कालोनियों के भवनों में दूकानें चलाने की अनुमति ।

निर्णय :

माननीय सदस्यों का यह मत था कि इस योजना को अलीगंज योजना के अन्तर्गत प्रयोगात्मक रूप से 2-3 सेक्टरों में प्रारम्भ करके देखा जाये और यदि योजना सफ़ल होती है तो इसका प्रगति विवरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये । तदुपरान्त सम्पूर्ण रूप से इस योजना के क्रियान्वन हेतु विचार किया जा सकेगा ।

विषय संख्या: 26

इन्दुलोक कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 27

90 वर्ष की लीज़ पर ली जाने वाली भूमि पर प्रीपेड लीज़-रेन्ट वसूल किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

क्रमश:——

विषय संख्या: 28

सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, 10- मालएवेन्यू के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित अनुमोदित किया गया तथा साथ ही यह निर्देश दिये गये कि पार्किंग एवं एफ0ए0आर0 आदि के सम्बन्ध में जो भी उचित प्रतिबन्ध लगाने हों वह लगाकर शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया जाये ।

विषय संख्या: 29

लखनऊ महानगरी के विकास हेतु प्रस्तावित जन संख्या, भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 से सम्बन्धित उपविधियों ।

निर्णय :

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि शासन को विधिक परीक्षण कराये जाने हेतु सूचना प्रेषित की जाये ।

विषय संख्या: 30

रायबरेली रोड पर भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 31

आवासीय भवन निर्माण हेतु प्रचलित रेट-चैक में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

संस्तुति के साथ शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाये ।

विषय संख्या: 32

वर्तमान निर्मित व विकसित क्षेत्रों एवं विकसित हो रहे अविकसित क्षेत्रों में भू-उपयोग हेतु जोनिंग रेगुलेशन ।

निर्णय :

विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि विधिक परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सूचना प्रेषित की जाये ।

विषय संख्या: 33

भवन विभाग में मानचित्रों के सरलीकरण के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के पैरा-2 में यह बिन्दु और जोड़ दिया जाये कि निर्माण होते समय विकास प्राधिकरण अपने स्तर से भी स्थल निरीक्षण कराता रहेगा और निर्माण की चेकिंग करने वाले अधिकारीगण यदि किसी प्रकार की लापरवाही बरतते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

क्रमशः-----

विषय संख्या: 34 — छोटे छोटे नजूल भूखण्डों पर प्लाट होल्डर्स व्दारा स्वयं भूखण्डों के विकसित करने की योजना ।

निर्णय : — प्रस्ताव निम्न संशोधनों के साथ स्वीकृत किया गया :

1- भूखण्ड का 25 प्रतिशत के बजाये 33-1/3 प्रतिशत भूखण्ड सोशल सर्विसेज़ के लिये आरक्षित रहेगा और इस भूखण्ड पर जो ई0डब्लू0एस0 या एल0आई0जी0 भवन बनाये जायेंगे उसमें भूमि का मूल्य नहीं चार्ज किया जायेगा और उसकी भूमि का स्वामित्व भी या तो लखनऊ विकास प्राधिकरण स्वयं लेकर आवन्टन की प्रक्रिया करेगा या भूमि के लीज़ होल्डर उनका टाइटिल आवन्टियों को नियमानुसार बेच देंगे ।

2- आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर कोई प्रतिशत नहीं लिया जायेगा । यह केवल पूरे भूखण्ड के आधार पर ही कार्यवाही की जायेगी ।

विषय संख्या: 35 — श्री प्रकाश नरायण सेठ, 19-विधान सभा मार्ग, लखनऊ के भूखण्ड संख्या: बी-3 के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि शासनादेश के अनुसार 50 प्रतिशत मूल्य जमा करा लिया जाये । एफ0ए0आर0 एवं ग्राउन्ड कवरेज का परीक्षण उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा करके पुन: शासन को भेजा जाये ।

विषय संख्या: 36 — प्राधिकरण के अभिलेखों के सम्बन्ध में बीडिंग रूल्स के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 37 — भावन मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त करने व अपील करने हेतु लिये जाने वाले शुल्क की दरों का पुनरीक्षण

निर्णय : — यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 38 — उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-32 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रतिनिधायन ।

निर्णय : — विचार विमर्श उपरान्त इस विषय में यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को धारा-32 के अन्तर्गत प्रतिनिधानित शक्तियों को किसी अन्य को प्रतिनिधानित करने की शक्ति प्रदान की जाती है, इसके अनुसार उपाध्यक्ष कार्यवाही करें ।

विषय संख्या: 39 — बजट 1986-87 के विरूध्द 30-11-86 तक अनन्तिम आय-व्यय की स्थिति ।

निर्णय: — आय-व्यय की स्थिति पर माननीय सदस्यों ने

क्रमश:——

प्रसन्नता व्यक्त की और यह कहा कि इसी प्रकार कार्यवाही भविष्य में भी की जाती रहे ।

विषय संख्या: 40 — लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक जन-सम्पर्क अधिकारी के पद के सृजन के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — संस्तुति के साथ प्रस्ताव शासन को पद सृजन हेतु भेजा जाये और उपरोक्त पद पर श्री मोहम्मद वासिल, सहायक जन सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति किये जाने की भी संस्तुति की जाती है ।

विषय संख्या: 41 — प्रताप सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि अर्जन से मुक्त करने अथवा भूमि आवन्टन के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — समयाभाव के कारण विचार नहीं हो सका । आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये एवं इस अवधि में इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न की जाये ।

विषय संख्या: 42 — कानपुर रोड योजना के ड्रेनेज तथा सीवरेज हेतु कनसलटेन्ट की नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 43 — आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये विभिन्न योजनाओं में साइट एण्ड सर्विसेज़ भूखण्डों के विकास हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति ।

निर्णय : — प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 44 — लखनऊ विकास प्राधिकरण शासन-उपविधि 1986 के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — शासन के सम्बन्ध में जो उप-विधियाँ बनाई गई हैं उनका परीक्षण अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण डा० वी०एन०खान्ना, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक की एक उप-समिति द्वारा करने के उपरान्त इस उपविधि को अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किया जाये । इस सम्बन्ध में उप-समिति तीन सप्ताह के अन्दर इसका परीक्षण करके अपनी रिपोर्ट दे दे ।

ह0/-
(गोविन्दन नायर)
उपाध्यक्ष

ह0/-
(शैलेश कृष्ण)
सचिव

अ नु मो दि त

ह0/-
(सुजेश कुमार)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।